

दिल्ली विकास प्राधिकरण
पूर्व दिल्ली खेल परिसर
नियम और विनियम

प्रस्तावित नियम और विनियम	
1.	<p>परिचय दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में खेलों के विकास एवं उन्नति के लिए पूर्व दिल्ली खेल परिसर की स्थापना की गई है। निकाय का नाम दिल्ली विकास प्राधिकरण, पूर्व दिल्ली खेल परिसर होगा। इसमें टेनिस, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, एरोबिक्स, योगा, ताइकांडो, फिटनेस सेंटर (मल्टी जिम), तैराकी, जॉगिंग, स्केटिंग, स्कैश, चिल्ड्रन पार्क आदि की सुविधाएं हैं।</p> <p>1.1 जिस भूमि पर पूर्व दिल्ली खेल परिसर (पी डी के पी) बनाया गया है वह दि.वि.प्रा. की संपत्ति है। खेल परिसर, तथा उसमें निर्मित सभी सुविधाएं, दि. वि. प्रा. के पूर्ण स्वामित्व और नियंत्रण में है। दि. वि. प्रा. के अलावा किसी भी व्यक्ति, संस्थान, एजेंसी, आदि को पूर्व दिल्ली खेल परिसर के प्रबंधन और मामलों में भागीदारी के अधिकार के लिए कोई वैधानिक प्रावधान, नियम, विनियम, उपनियम आदि नहीं हैं और पी डी के पी की सदस्यता वाले किसी भी व्यक्ति के पास पी डी के पी की संपत्ति, प्रबंधन और मामलों पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा। खेल परिसर का नियंत्रण और प्रबंधन हमेशा दि.वि.प्रा. के पास रहेगा जैसा कि यहां बताया गया है।</p>
2.	<p>उद्देश्य दि. वि. प्रा. पूर्व दिल्ली खेल परिसर (इसे बाद जिसे खेल परिसर कहा जाता है) के उद्देश्य हैं:</p> <p>क) मुख्य योजना की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के नागरिकों को मनोरंजक और स्वस्थ वातावरण प्रदान करना।</p> <p>ख) सामान्य रूप से दिल्ली के नागरिकों और विशेष रूप से खेल परिसर के सदस्यों के बीच खेल गतिविधियों और परस्पर सहायता और सद्भाव की भावना को प्रेरित करना।</p> <p>ग) विभिन्न खेलों को बढ़ावा देने के लिए, जैसे, टेनिस, स्कैश, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ताइकांडो, एरोबिक्स, तैराकी आदि।</p>
3.	<p>सामान्य उद्देश्य:</p> <p>क) दिल्ली में खेल सुविधाओं के विकास और खेल को बढ़ावा देने के लिए माननीय उपराज्यपाल/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. की अध्यक्षता में दि. वि. प्रा. के खेल प्रबंधन बोर्ड के समग्र नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देशों के तहत कार्य करना।</p> <p>ख) खेल परिसर को चलाने के लिए सभी प्रकार के उपकरण, सामग्री, फर्नीचर, उपस्कर और अन्य आवश्यक सामान की खरीद, किराये पर लेना, उपलब्ध करवाना और रख-रखाव करना।</p> <p>ग) परिसर चलाने हेतु कोच, मार्कर, इंस्ट्रक्टर, ग्राउंड्समैन और अन्य कर्मचारियों को दिन-प्रतिदिन के काम के लिए नियुक्त करना।</p> <p>घ) उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अन्य सभी विधिसम्मत बातें करना, जो आकस्मिक या अनुकूल हैं।</p> <p>ङ) दि. वि. प्रा. के खेल प्रबंधन बोर्ड के पास खेल परिसर के उचित संचालन और प्रबंधन के लिए आवश्यक सभी नियमों/उप विधियों को बनाने, बदलने और निरस्त करने की शक्ति होगी।</p>
4.	<p>सदस्यता: सदस्यता की विभिन्न श्रेणियां नीचे दी गई हैं और उत्तरवर्ती अनुच्छेदों में परिभाषित की गई हैं। सभी श्रेणियों के संबंध में सदस्यता को मंजूरी प्रबंधन बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से दी जाएगी। हालाँकि, सदस्यता केवल खेल परिसर में खेल के अधिकार प्रदान करती है।</p> <p>(क) व्यक्तिगत सदस्यता: भारतीय (सरकारी/गैर सरकारी)/विदेशी नागरिक।</p> <p>(ख) आश्रित सदस्यता</p> <p>(ग) एसोसिएट सदस्यता</p> <p>(घ) वरिष्ठ नागरिक सदस्यता</p> <p>(ङ) निगमित (कॉर्पोरेट) सदस्यता: भारतीय / विदेशी कंपनियों</p> <p>(च) अनिवासी भारतीय (एनआरआई) सदस्यता</p> <p>(छ) अस्थायी सदस्यता</p> <p>(ज) विशेष अस्थायी सदस्यता</p> <p>(झ) मानद सदस्यता</p> <p>(ञ) विशेष मानद सदस्यता</p> <p>(ट) अतिथि सदस्यता</p> <p>(ठ) दैनिक आकस्मिक सदस्यता (भुगतान करें और खेलें)</p> <p>(ड) विद्यालयी छात्रों के लिए छात्र सदस्यता (कक्षा 12 तक) दैनिक / मासिक</p>
5.	<p>व्यक्तिगत सदस्यता 21 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति नियमित सदस्य बनने के लिए पात्र होगा। एक बार दी गई सदस्यता किसी</p>

	अन्य की अंतरित नहीं किया जाएगा। कोई सदस्य आश्रित के रूप में अपने पति/पत्नी और बच्चों (5 वर्ष से 21 वर्ष के बीच) को नामांकित कर सकते हैं। आवेदन करने के समय सदस्य को आश्रितों को नामांकित करना आवश्यक है। आश्रित सदस्यों के संबंध में समय-समय पर निर्धारित मासिक अंशदान व्यक्तिगत सदस्यता के अनुमोदन की तारीख से प्रभाव होगा। इस प्रकार कुल मासिक अंशदान की गणना सदस्य द्वारा दिए गए परिवार के विवरण के अनुसार की जाएगी। हालाँकि, प्रबंधन बोर्ड आश्रितों की सदस्यता को मना करने या स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
6.	आश्रित की सदस्यता
6.1	पति या पत्नी और कानूनी बच्चे (5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के बीच) आश्रित सदस्य बनने के पात्र हैं। हालाँकि, आश्रितों को सदस्य द्वारा नामित करना होगा और किसी भी श्रेणी की सदस्यता के लिए आवेदन के समय उनके विवरण का खुलासा आवेदन- पत्र में किया जाना चाहिए।
6.2	जो भी सदस्य खेल परिसर (स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स) की सदस्यता प्राप्त करने के बाद विवाह करता है, वह अपने पति/पत्नी को विवाह की तारीख से आश्रित के रूप में शामिल करवा सकता है। इसी तरह 5 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बच्चों को आश्रित के रूप में अनुमति दी जाती है। आश्रितों के नाम, और उनकी सदस्यता के भुगतान का दायित्व सदस्य का होगा। ऐसे मामलों में मासिक सदस्यता उनके विवाहित होने के 5 माह या बच्चों की आयु 5 वर्ष होने पर प्रभावी होगी।
6.3	जब तक आश्रितों के लिए सदस्यता का भुगतान व्यक्तिगत सदस्यता के अनुमोदन की तारीख से नहीं किया जाता है, आश्रितों को सदस्यता कार्ड जारी नहीं किया जाएगा।
6.4	आश्रित बच्चे 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर आश्रित सदस्य नहीं रहेंगे। उन्हें अपना सदस्यता कार्ड सरेंडर करना होगा।
6.5	बाद में किसी समय सदस्यों के रूप में अपने/अपने आश्रितों को दाखिला देने के इच्छुक व्यक्ति को पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ लागू मासिक सदस्यता का भुगतान करना होगा, अर्थात्, उसकी सदस्यता की स्वीकृति की तारीख से। आश्रित सदस्यता कार्ड एक बार में 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी किए जाएंगे और नवीनतम फोटो के साथ प्रत्येक 5 वर्ष में नए कार्ड बदले जाएंगे।
7.	एसोसिएट सदस्यता: 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, एक सदस्य के आश्रित बच्चे, जिन्होंने एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए परिसर का उपयोग किया है, यदि वह परिसर के उपयोग को जारी रखना चाहते हैं, तो एसोसिएट सदस्यता, के लिए आवेदन कर सकते हैं। रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट बोर्ड एसोसिएट सदस्यता को निम्नलिखित शर्तों के अधीन दे सकता है:- (1) एसोसिएट सदस्य बनने का विकल्प 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के एक वर्ष के भीतर प्रयोग किया जाना चाहिए। (2) प्रचलित प्रवेश शुल्क के 50% के बराबर गैर-प्रतिदेय प्रवेश शुल्क का भुगतान करना होगा
7.1	एसोसिएट सदस्यों के लिए मासिक सदस्यता अंशदान व्यक्तिगत सदस्यों के समान होगा।
7.2	एसोसिएट सदस्यों को आश्रित सदस्यों को शामिल करने और अतिथियों को लाने की अनुमति नहीं है।
8.	वरिष्ठ नागरिक सदस्यता वरिष्ठ नागरिक सदस्यता केवल उन लोगों के लिए है, जिनकी 60 वर्ष की आयु हो गई हो, इसके लिए आयु का प्रमाण देना होगा। पति या पत्नी के अलावा, वरिष्ठ नागरिक सदस्य के 21 वर्ष से कम आयु के बच्चे सामान्य मासिक सदस्यता के भुगतान पर आश्रित सदस्य बन सकते हैं। हालाँकि, आश्रित सदस्य के 21 वर्ष की आयु के बाद उसे एसोसिएट सदस्यता के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
9.	निगमित सदस्यता सार्वजनिक क्षेत्र और निजी वाणिज्यिक फर्म कॉर्पोरेट सदस्यता के लिए पात्र हैं, जो अनुमोदन मिलने निर्धारित प्रवेश शुल्क के अधीन हैं। एक नामित सदस्य को समय-समय पर निर्धारित मासिक सदस्यता शुल्क पर सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। प्रायोजक(स्पोर्ट्सोरिंग) फर्म पूर्व सूचना देकर से नामित व्यक्ति का नाम बदलवा सकती है और नामांकित के परिवर्तन से पहले अनुमोदन लेना होगा। पिछले नामांकित व्यक्ति के कार्ड सरेंडर्ड कर दिए जाएंगे। विनिर्माण उद्योगों की सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए 25 करोड़ रुपये के तथा परामर्शी सेवाओं के लिए 5 करोड़ रुपये के वार्षिक कारोबार के साथ कॉर्पोरेट सदस्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सरकारी संगठन और सूचिबद्ध कम्पनियाँ भी कॉर्पोरेट सदस्यता के लिये आवेदन कर सकती हैं।
9.1	
10.	अनिवासी भारतीय (एनआरआई) सदस्यता: अनिवासी भारतीय निर्धारित प्रवेश शुल्क का भुगतान करने पर व्यक्तिगत सदस्यता प्राप्त करने के पात्र हैं। रुपयों में प्रवेश शुल्क निर्धारित प्रवेश शुल्क के बराबर है। राशि का भुगतान एनआरआई के गैर निवासी खाते से रूपए में ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए, साथ ही बैंक से एक प्रमाण पत्र के साथ यह प्रमाणित करना चाहिए कि राशि उस व्यक्ति के एनआरआई खाते से डेबिट की गई है।
11.	अस्थायी सदस्यता
11.1	अस्थायी सदस्यता यथा निर्धारित शुल्क के अप्रतिदेय भुगतान पर 3 महीने की अवधि के लिए है। यह परिवार की

11.2	सदस्यता है। परिवार में पति/पत्नी और बच्चे शामिल हैं। आश्रित(पति/पत्नी और बच्चे),आश्रित सदस्यता के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करते हैं। क्रेडिट या डेबिट कार्ड /एनईएफटी/आरटीजीएस/नेट बैंकिंग द्वारा ऑनलाइन मोड के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिए। अस्थायी सदस्यों को अतिथियों को लाने की अनुमति नहीं है। अस्थाई सदस्यता पात्र आवेदकों को दी जाती है, यदि आवेदकों की संख्या अस्थायी सदस्यता की निर्धारित सीमा के भीतर है। यदि आवेदकों की संख्या सीमा से अधिक है,तो अस्थायी सदस्यता लॉट के कम्प्यूटरीकृत ड्रा के माध्यम से दी जाएगी।
11.3	आवेदक को 5 से 21 वर्ष की आयु के आश्रित कानूनी बच्चों के लिए स्व-प्रमाणित जन्म प्रमाण पत्रों की स्कैन की हुई प्रति के साथ-साथ स्वयं और आश्रितों के फोटो की स्कैन कॉपी के साथ आवेदन- पत्र ऑनलाइन जमा कराना होगा।
11.4	खेल परिसरों के स्थायी सदस्यों के आश्रित बच्चे, खेल परिसर की सुविधाओं का उपयोग अस्थायी सदस्य के रूप में कर सकते हैं, यदि वे आश्रित सदस्यता का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें अस्थायी सदस्यता के अन्य आवेदकों से प्राथमिकता दी जा सकती है। केवल 21 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को अस्थायी सदस्यता देने की वर्तमान प्रणाली में ढील दी जा सकती है। अव्यस्क के मामले में अस्थायी सदस्यता प्रदान करने के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य होगी।
12.	विशेष अस्थाई सदस्यता आवेदक, पति /पत्नी और बच्चों (21 वर्ष से काम आयु वर्ग के बच्चे) के लिए एक वर्ष के लिए एक बारगी अप्रतिदेय शुल्क के रूप में निर्धारित शुल्क के भुगतान पर, परिसर से 2 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले केवल केंद्र सरकार के अधिकारी इस प्रकार की सदस्यता के पात्र हैं, जो प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदन के अधीन है। बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र और स्वायत्त निकायों में काम करने वाले अधिकारी इस प्रकार की सदस्यता के लिए पात्र नहीं हैं।
13.	मानद सदस्यता भूतपूर्व और वर्तमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वित्त सदस्य और दि. वि. प्रा. के अभियंता सदस्य मानद सदस्य होंगे।
14.	विशेष मानद सदस्यता यह खेल प्रबंधन बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार अर्जुन पुरस्कार विजेताओं या दिल्ली में रहने वाले असाधारण राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है, विशेष मानद सदस्य को प्रवेश शुल्क का भुगतान करने से छूट दी जाएगी, लेकिन निर्धारित दरों के अनुसार सामान्य मासिक अंशदान लिया जाएगा।
15.	अतिथि सदस्यता: स्थायी सदस्यता वाले सभी लोग एक समय में अधिकतम चार अतिथि ला सकते हैं, जो अपेक्षित शुल्क के भुगतान के अधीन हैं।
15.1	सदस्य अपने अतिथि के आचरण के लिए जिम्मेदार होगा।
15.2	किसी भी सुविधा के लिए प्रबंधन/ड्यूटी प्रभारी को व्यस्ततम समय (पीक आवर्स) के दौरान किसी भी अतिथि को मना करने का अधिकार है, अर्थात प्रातः 6.00 से 8.00 बजे और सांय 6.00 से 8.00 बजे (ग्रीष्मकाल में) और 6.30 से 8 बजे सुबह और 6.30 से 8.30 बजे शाम को (शीतकाल में)।
15.3	आश्रित/एसोसिएट सदस्यों को अतिथियों को लाने की अनुमति नहीं है।
16.	आकस्मिक सदस्यता (भुगतान करें और खेलें) आकस्मिक सदस्यता (उसी दिन के लिए मान्य) को निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर परिसर (कॉम्प्लेक्स) प्रभारी द्वारा अनुमति दी जा सकती है। इस श्रेणी की सदस्यता को खेल- सुविधाओं की उपलब्धता होने पर ही अनुमति दी जाएगी।
16.1	स्कूली बच्चों के लिए सदस्यता परिसर में सुविधाओं के उपयोग के लिए स्कूली बच्चों (कक्षा 12 तक) के लिए दैनिक/मासिक सदस्यता निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध होगी।
17.	विधवाओं/विधुरों की सदस्यता: मृतक व्यक्तिगत सदस्य की विधवा/विधुर के मामले में, जो व्यक्तिगत सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए आवेदन करता है, उसे आयुक्त (खेल)/निदेशक (खेल) के अनुमोदन से सदस्य बनाया जा सकता है, बशर्ते कि विधवा/विधुर व्यक्तिगत सदस्यता वाले व्यक्ति के निधन से पहले आश्रित हो। हालांकि, सदस्यता अंतरित होने से पहले पिछले बकाया का निपटान किया जाएगा।
18.	सदस्यता कार्ड
18.1	प्रत्येक सदस्य और आश्रित सदस्य को सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करने पर ही सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति होगी। समय-समय पर निर्धारित भुगतान करने पर सदस्यों और आश्रितों के लिए पृथक सदस्यता कार्ड की आवश्यकता होगी।
18.2	यह सदस्य की जिम्मेदारी है कि वह सदस्यता कार्ड को तैयार करने के लिए आवेदन करे और नियत तारीख के बाद उसे एकत्र करे।
18.3	कार्ड के लिए आवेदन ना करना या एकत्र ना करना, मासिक सदस्यता का भुगतान नहीं करने/सदस्यता कार्ड के बिना सुविधाओं का उपयोग करने का बहाना नहीं होगा।
18.4	यदि कार्ड खो जाता है, तो सदस्य को पुलिस रिपोर्ट की प्रति के साथ डुप्लिकेट कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। आश्रित द्वारा कार्ड खोने के मामले में, डुप्लिकेट कार्ड के लिए सदस्य द्वारा अनुरोध करना आवश्यक है।

18.5	कार्ड खो जाने पर, डुप्लिकेट कार्ड बनाने के लिए निर्धारित शुल्क का जुर्माना लगेगा।
18.6	बच्चों के लिए आश्रित कार्ड की वैधता 5 वर्ष या 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि होगी, जो भी पहले हो, कार्ड जारी करने की तारीख से 5 वर्ष पूरा होने पर, सदस्य को आश्रित के लिए नए कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए।
19.	सदस्यता हेतु प्रवेश शुल्क और सदस्यता शुल्क
19.1	प्रवेश शुल्क और मासिक सदस्यता शुल्क के संबंध में शुल्क का शेड्यूल नोटिस बोर्ड और खेल परिसर के रिसेप्शन पर प्रदर्शित किया गया है और डीडीए की वेबसाइट www.dda.org.in पर पोस्ट किया गया है।
19.2	शुल्क समय-समय पर संशोधन के अधीन हैं।
19.3	सदस्यता के लिए प्रवेश शुल्क अप्रतिदेय है।
19.4	केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों जैसे नगर निगमों, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद और दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी और वे व्यक्ति जिनके वेतन और भत्ते समेकित निधि से भारत/राज्य से आहरित किये जाते हैं, उन्हें सरकारी श्रेणी में माना जाएगा।
19.5	सभी भुक्तानों पर वस्तु एवं सेवा कर अतिरिक्त रूप से लागू होगा।
20.	सदस्यता का भुगतान
20.1	<p>(1) प्रत्येक तिमाही बिल जारी किए जाएंगे। सदस्यता की दर के अनुसार बकाया राशि खेल परिसर को चेक के माध्यम से भेजी जा सकती है (दोपहर 10.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे के बीच, भोजन अवकाश दोपहर 1.00 बजे से 1.30 बजे को छोड़ कर, (सभी कार्य दिवसों में)। सदस्यता का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड/आरटीजीएस/एनईएफटी/नेट बैंकिंग द्वारा भी किया जा सकता है।</p> <p>(2) सदस्यता का भुगतान पहले से ही तिमाही, छह माह या पूरे वर्ष के लिए किया जा सकता है।</p> <p>(3) एक वर्ष से अधिक समय तक बिलों का भुगतान न करने पर सदस्यता समाप्त हो जाएगी। देरी से किए गये भुगतान के लिए 500 रुपये का अधिभार लगाया जाएगा।</p> <p>(4) गलत पते या डाक देरी के लिए व्यक्तियों द्वारा पत्र/बिल प्राप्त न करने के लिए प्रबंधन जिम्मेदार नहीं होगा। व्यक्तियों से अनुरोध है कि सदस्यता की समाप्ति से बचने के लिए सदस्यता का भुगतान नियमित रूप से सुनिश्चित किया जाए। स्थायी सदस्यों को एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से उनके बकाया के बारे में सूचित किया जाएगा।</p> <p>(5) डिफॉल्टरों को आवेदन - पत्र में उल्लिखित पते पर नोटिस भेजे जाएंगे, जिससे उन्हें नोटिस मिलने के पंद्रह दिनों के भीतर बकाया भुगतान करने का अंतिम अवसर दिया जाएगा, और उस निर्धारित समय में भुगतान न करने पर सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। एसएमएस और ईमेल के माध्यम से सूचना के जरिए भी नोटिस भेजे जाएंगे।</p> <p>(6) सदस्यता प्राप्त व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वे मेल के पते, ईमेल, फोन नंबर आदि में किसी भी बदलाव के मामले में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रबंधन के साथ अपने प्रोफाइल को अपडेट करें। ये विवरण ऑनलाइन भी अपडेट किए जा सकते हैं।</p> <p>(7) सभी सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे खेल परिसर की किसी भी सुविधा के उपयोग हेतु भुगतान राशि की रसीद प्राप्त करें।</p>
20.2	सदस्य अन्य घंटों में भी मासिक अंशदान या बैंक प्रशासनिक ब्लाक के बाहर रखे बैंक बाक्स में डाल सकते हैं। बैंक के पीछे निम्नलिखित सूचना लिख दें :-
	<ol style="list-style-type: none"> 1) सदस्य का नाम 2) सदस्यता संख्या 3) आश्रितों की संख्या 4) भुगतान की अवधि 5) ईमेल पता 6) मोबाइल नम्बर
20.3	बैंक "सीएयू (खेल), डीडीए" के पक्ष में केवल आदाता के खाते में रेखांकित होने चाहिए। बाहर के स्थानों के बैंक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
20.4	ऐसे बैंकों की रसीदें स्वागत कक्ष में उपलब्ध होंगी। बैंक डाक/कोरियर द्वारा भी भेज सकते हैं। ऐसे बैंकों की रसीद भी स्वागत कक्ष में उपलब्ध होगी।
21.	अंशदान से छूट
21.1	आश्रितों सहित अवैतनिक सदस्यों को कोई प्रवेश शुल्क अथवा मासिक अंशदान अथवा अन्य कोई उपयोग प्रभार अदा नहीं करना होगा।
21.2	इसी प्रकार दि.वि.प्रा. के खिलाड़ी और कर्मचारी, जो विभिन्न पदों पर खेल परिसरों में काम कर रहे हैं जब तक वे खेल परिसर में कार्य करते रहेंगे तब तक उनको स्वयं के लिए और उनके आश्रितों के लिए अंशदान का भुगतान करने से छूट है।

21.3	<p>खेल परिसर के विकास कार्यों से जुड़े दि.वि.प्रा. के अभियंताओं, वास्तुकारों आदि से तब तक मासिक अंशदान नहीं लिया जाएगा जब तक कि वे खेल परिसरों के कार्य से जुड़े रहेंगे। तथापि उन्हें उनके आश्रितों के लिए सामान्य दर पर मासिक अंशदान का भुगतान करना होगा। सदस्यों से लिखित में अनुरोध प्राप्त होने पर आयुक्त (खेल) द्वारा ऐसे मामलों की जांच की जाएगी और उन्हें पृथक-पृथक अनुमोदित किया जाएगा।</p>
22.	<p>सदस्यता समाप्त करना : निम्नलिखित कारणों में से किसी भी कारण से सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) सदस्य के अनुरोध पर। 2) 1 वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि के लिए खेल परिसर की देय राशि का भुगतान न करने पर। गलत पते की वजह से सदस्य के पत्र प्राप्त न होने और डाक संबंधी देरी के लिए प्रबन्ध बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा। सदस्यों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे अंशदान का नियमित भुगतान सुनिश्चित करें ताकि सदस्यता की समाप्ति को रोका जा सके। 3) दुराचार अथवा खेल परिसर की प्रतिष्ठा और निर्बाध कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी कार्य अथवा खेल परिसर के नियमों और विनियमों तथा उप-विधियों का उल्लंघन करने अथवा यदि किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया गया है। वे सदस्य जिनकी सदस्यता इस कारण से रद्द की गई हो, उन्हें दि.वि.प्रा. के किसी अन्य खेल परिसर/गोल्फ कोर्स सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इन सुविधाओं के उपयोग हेतु प्रवेश से विवर्जित कर दिया जाएगा। यदि सदस्य के पास दि.वि.प्रा. के किसी अन्य खेल परिसर/गोल्फ कोर्स की सदस्यता है तो वह स्वतः रद्द हो जाएगी। यदि इस कारण से सदस्यता को रद्द किया गया है तो सदस्यता को बहाल करने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। जिन सदस्यों की सदस्यता को इस कारण से रद्द किया गया है अथवा खेल परिसर की सुविधाओं के उपयोग से अयोग्य/विवर्जित किया गया है वे भविष्य में किसी भी दि.वि.प्रा. खेल परिसर अथवा गोल्फ कोर्स में, अस्थायी और आकस्मिक (भुगतान करो और खेलो) सदस्यता सहित, किसी भी प्रकार की सदस्यता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे। 4) यदि सदस्य किसी दूसरे ऐसे देश का नागरिक हो तथा उस दूसरे देश और भारत के बीच युद्ध घोषित हो गया हो। 5) यदि उसे प्रबंध बोर्ड द्वारा दुराचार अथवा नैतिक अधमता के रूप में माने गये किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। 6) यदि अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. के निर्णय में यह लिखा गया है कि सदस्यता जारी रहने से खेल परिसर के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। 7) सदस्यों को दि.वि.प्रा. खेल परिसर में किसी फोरम, एसोसिएशन का गठन करने या कोई मजदूर संघ कार्यकलाप करने की अनुमति नहीं होगी, अन्यथा ऐसे सदस्यों को सदस्यता से वंचित कर दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में खेल प्रबन्ध बोर्ड या उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. का निर्णय अन्तिम और बाध्यकारी होगा। 8) जिन सदस्यों की सदस्यता को रद्द किया गया है उनके नाम खेल परिसर के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किए जाएंगे। 9) खेल परिसर की सुविधाओं का नियमित रूप से उपयोग न करने के लिए। 10) सदस्यता रद्द होने पर प्रवेश शुल्क वापिस नहीं किया जाएगा। 11) अंशदान के लिए भुगतान की गई अग्रिम राशि को सभी बकाये राशियों को समायोजित करने के बाद वापिस किया जाए।
23.	<p>देय राशियों का भुगतान नहीं करना</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1 वर्ष से अधिक के बिलों का भुगतान न करने पर सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। देरी से भुगतान करने पर 500% रु. अधिभार वसूल किया जाएगा। 2) प्रबंधन, गलत पते की वजह से सदस्यों द्वारा पत्र/बिल प्राप्त न होने अथवा डाक संबंधी देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। सदस्यों से अनुरोध है कि वे अंशदान का नियमित रूप से भुगतान सुनिश्चित करें ताकि सदस्यता समाप्त करने को रोका जा सके। 3) चूककर्ताओं को आवेदन फार्म में उल्लिखित पते पर नोटिस भेजे जाएंगे, जिसमें उन्हें नोटिस प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के अन्दर बकायों का भुगतान करने का अन्तिम अवसर दिया जाएगा, और ऐसा ना होने पर सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। 4) सदस्यता प्राप्त सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे डाक पते, ई-मेल, फोन नम्बर आदि में परिवर्तन के मामले में खेल परिसर के प्रबंधन में अपने प्रोफाइल को अद्यतन करें।

24.	<p>रद्द की गई सदस्यता बहाल करना : सामान्यतः अपवाद स्वरूप मामलों को छोड़ कर शेष मामलों में सदस्यता बहाल करने की अनुमति नहीं दी जाती है। अपवादस्वरूप मामलों में सदस्यता बहाल करने के लिए आवेदक ने दो वर्षों की अवधि के अंदर आवेदन किया हो और आयुक्त (खेल) /निदेशक (खेल) उस आवेदन से संतुष्ट हो तथा उसे सदस्यता की रद्दकरण अवधि सहित आज तक की बकाया राशि के साथ-साथ वर्तमान सदस्यता प्रवेश शुल्क की 1/3 राशि का भुगतान करना होगा। बहाली प्रभार, सदस्यता रद्द होने की तिथि को सदस्यता श्रेणी की स्थिति पर आधारित होगा, अर्थात् यदि सदस्य वरिष्ठ नागरिक हो जाने के पश्चात् चूक करता है तो केवल तभी बहाली प्रभार वरिष्ठ नागरिकों के लिए यथा लागू प्रवेश शुल्क/मासिक अंशदान पर आधारित होगा।</p> <p>सदस्यता बहाली के लिए निम्नलिखित नियम लागू होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) जिन परिसरों में सदस्यता खुली हैं, वहाँ चूककर्ता सदस्यों की सदस्यता को निर्धारित बहाली प्रभार के भुगतान और बकाया देय की वसूली के पश्चात् बहाल किया जाएगा। 2) जिन खेल परिसरों में सदस्यता बंद है, वहाँ सदस्यता रद्द होने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के पश्चात् चूककर्ता सदस्यों की सदस्यता को बहाल नहीं किया जाएगा। <p>यदि सदस्यता निम्नलिखित कारणों से रद्द कर दी गई हो तो सदस्यता बहाल करने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) सदस्य के अनुरोध पर। 2) दुराचार या खेल-परिसर की प्रतिष्ठा और निर्बाध कार्य-कलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी कार्य या खेल-परिसर के नियमों तथा विनियमों और उप-विधियों का उल्लंघन किया गया हो। 3) यदि किसी सदस्य ने प्रबन्ध बोर्ड द्वारा दुराचार या नैतिक अधमता के रूप में माने गए किसी अपराध का कार्य किया हो। <p>जिस अवधि के लिए सदस्यता रद्द की गई हो उस अवधि की अनुपस्थित सदस्यता अवधि (प्रभावित अवधि) सदस्यता बहाल करने के लिए स्थान/निवास-स्थान से बाहर रहने का प्रस्तुत किया गया प्रमाण स्वीकार नहीं किया जाएगा।</p>
24.1	
24.2	
25.	<p>अस्वीकृत चैक : सदस्यों के चैक “चैक काटने वाले को वापिस” “धनराशि उपलब्ध नहीं है” और “सदस्य द्वारा भुगतान रोकने” अथवा अन्य किसी कारण से चैक अस्वीकृत हो जाने पर सदस्य को तत्काल जीएसटी सहित 200 रु. की जुर्माना राशि के साथ देय राशि का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड/एनईएफटी/आरटीजीएस/नेट बैंकिंग के माध्यम से करना होगा। नियमों में दी गयी निर्धारित अवधि के अंदर भुगतान न होने की स्थिति में सदस्यता समाप्त की जा सकेगी।</p>
26.	<p>सदस्यों को नोटिस जिन मामलों में किसी भी नियम के अन्तर्गत सदस्यों को नोटिस देना आवश्यक हो, उन मामलों में उनके उपलब्ध पिछले पते पर नोटिस देना अथवा डाक से भेजना पर्याप्त होगा बशर्ते कि अन्यथा व्यवस्था न हो। सदस्य के पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर एक एसएमएस बेजा जाएगा जिसमें डाक/ई-मेल द्वारा नोटिस भेजे जाने की सूचना दी जाएगी।</p>
27.	<p>नियमों और उप-विधि का उल्लंघन करना : प्रबन्ध बोर्ड को, नियमों और उप-विधियों का उल्लंघन करने पर किसी भी सदस्यता को आस्थगित करने/ समाप्त करने के लिए और परिसर का उपयोग करने से अयोग्य घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।</p>
28.	<p>सदस्यों का आचरण : यदि परिसर के सचिव की राय में किसी सदस्य अथवा उनके आश्रित व्यक्ति का परिसर में आचरण परिसर की प्रतिष्ठा और हित के लिए अनुचित है तो परिसर से उनकी सदस्यता स्थगित/समाप्त कर दी जाएगी।</p>
29. 29.1	<p>अनुपस्थित - बाह्य सदस्यता : ऐसे सदस्य जिन्हें दिल्ली/देश से अस्थायी रूप से लगातार न्यूनतम तीन महीने की अवधि के लिए बाहर रहना हों, वे अनुपस्थिति (बाहर जाने) सदस्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह सदस्यता उनके जाने की तिथि से आरम्भ होगी और कार्यालय आदेश, स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट/वीजा आदि के रूप में दस्तावेजी सबूत के साथ लिखित अनुरोध पत्र प्राप्त होने की शर्त पर होगी। अनुपस्थित (बाहर जाने) सदस्यता, कार्ड</p>

29.2	जमा कराने पर अनुमोदित होगी, जिसे सदस्य लौटने पर वापिस ले सकते हैं। सदस्य के साथ उनके आश्रित व्यक्तियों को भी अनुपस्थित सदस्य माना जाएगा। तथापि यदि आश्रित व्यक्ति अध्ययन आदि के लिए नगर/देश के बाहर ठहरे हुए हो तो उन्हें सबूत प्रस्तुत करने और कार्ड जमा करने पर नगर/देश से बाहर/अनुपस्थित सदस्य के रूप में पृथक से अनुमति दी जा सकती है।
29.3	किसी भी कारणवश परिसर का प्रयोग न करने को अनुपस्थिति (बाहर जाने) सदस्यता का दावा करने का कारण नहीं माना जाएगा।
29.4	उप नगरों जैसे नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गाँव, गाजियाबाद, बहादुरगढ़ को दिल्ली के अन्दर ही माना जाएगा।
29.5	अनुपस्थित सदस्यता के लिए मासिक अंशदान खेल परिसर के नोटस बोर्ड और स्वागत कक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है और दि.वि.प्रा. वेबसाइट www.dda.org.in पर डाला जाता है साथ ही अनुपस्थित सदस्य को एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से सूचना भी दी जाती है।
29.6	अनुपस्थित/बाह्य सदस्यता किसी भी सदस्य को अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी चाहे वह इस अवधि को सतत अवधि में या एक से अधिक भागों में संचयी रूप में प्राप्त करें।
29.7	अनुपस्थित (बाह्य) सदस्यता पूर्व प्रभाव से नहीं दी जाएगी। यह लिखित अनुरोध प्राप्त होने और सामान्य औपचारिकता पूरी किए जाने पर प्रारम्भ होगी।
30.	सरकार/मन्यता प्राप्त स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों द्वारा परिसर का उपयोग । परिसर की सुविधाओं का उपयोग करने के लिए स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों को एक माह की अवधि हेतु बैच बुकिंग आधार पर अनुमति प्रदान की जा सकती है। प्रत्येक खेल विधा के लिए प्रति घण्टा प्रति माह हेतु समय-समय पर यथा निर्धारित प्रभारों के भुगतान पर बास्केटबाल, टेबल-टेनिस, बैडमिंटन, स्कवैश आदि खेलों के लिए यह लागू है। यह अनुमति मैदानों/कोर्टों/टेबल की उपलब्धता की शर्त पर प्रदान की जाएगी।
31.	नियमों एवं उप-विधियों की प्रतियों
31.1	खेल परिसर के नियमों और उप विधियों की एक प्रति परिसर के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की गई है और साथ ही www.dda.org.in वेबसाइट पर भी दी गई है। नियमों और उप-विधियों की मुद्रित प्रति निर्धारित प्रभारों के भुगतान पर सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। नियमों और उपविधियों की सॉफ्ट कॉपी सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी और उन्हें एसएमएस के माध्यम से यह सूचना दी जाएगी कि इसे ई-मेल से भेज दिया गया।
31.2	परिसर की सदस्यता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को परिसर के नियमों, विनियमों और उपविधियों की पालना करनी होगी।
32.	खेल सुविधाओं का गैर सदस्य छात्रों द्वारा उपयोग स्कूली छात्रों को निर्धारित दरों पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक खेल परिसर की सुविधाओं का उपयोग करने के लिए मासिक पास जारी किए जाएंगे। स्कूली छात्र भी उन सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं जिसके लिए सदस्यों द्वारा देय दरों का 50% उपयोगकर्ता प्रभार के रूप में भुगतान किया जाएगा।
33.	कोचिंग कुछ खेलों के लिए परिसर में कोचिंग उपलब्ध है। परिसर योग्य कोचों की सेवाएं प्रदान कराता है। कोचिंग क्लास और फीस का विवरण खेल परिसर के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
33.1	परिसर के कोचों के अतिरिक्त, सदस्यों, अतिथियों/किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परिसर में किसी अन्य निजी कोचिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। परिसर के प्राधिकारी ऐसे व्यक्तियों द्वारा धोखेबाजी अथवा किसी कदाचार हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे। परिसर प्राधिकारी के पास ऐसे सदस्य/व्यक्ति को परिसर से विवर्जित करने का पूर्ण अधिकार है और ऐसे सदस्य/व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
33.2	यदि कोई व्यक्ति अनधिकृत निजी कोचिंग में संलिप्त पाया जाता है तो परिसर प्राधिकारी के पास ऐसे सदस्य/व्यक्ति को परिसर से विवर्जित करने का पूर्ण अधिकार है और ऐसे सदस्य/व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
33.3	खेल परिसर में सदस्यों/किसी अन्य व्यक्ति द्वारा समूह में कोचिंग गतिविधि संचालित करने की अनुमति नहीं है।

33.4	यथा लागू विलंब शुल्क प्रतिदिन के लिए देय होगा लेकिन अधिक-से-अधिक मासिक कोचिंग प्रभार का 50% देय होगा।
34.	<p>समय :</p> <p>खेल परिसर के खुलने और बंद होने का समय और उसमें प्रदान की जाने वाली कोई भी सुविधा प्रबंधन मंडल के आदेश के अनुसार होगी। सामान्यतः, गर्मी में समय सुबह 6.00 बजे से शाम 9.00 बजे तक होगा। सर्दी में, खेल परिसर सुबह 6.30 बजे खुलेगा और सदस्य शाम 8.30 बजे तक सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। खेल सुविधाओं के लिए परिसर सोमवार को बंद रहेगा। प्रबंधन मंडल कोचिंग और प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं के उपयोग हेतु विशिष्ट समय/दिन निर्धारित कर सकता है।</p>
35.	<p>किसी हानि/चोट/क्षति के लिए मुआवजा :</p> <p>“सदस्यों उनके आश्रितों और उनके अतिथियों और अन्य व्यक्तियों द्वारा सभी प्रकार की सावधानी बरतनी अपेक्षित है ताकि किसी व्यक्ति को कोई हानि, चोट अथवा क्षति न पहुंचे। दि.वि.प्रा. और/अथवा खेल परिसर का प्रबंधन किसी सदस्य, उसके आश्रितों अथवा खेल परिसर में लाए गए किसी अन्य व्यक्ति अथवा खेल परिसर से गुजरने वाले व्यक्ति अथवा खेल परिसर की किसी भी सुविधा का उपयोग करने वाले व्यक्ति को लगने वाली किसी चोट, हानि अथवा क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। दि.वि.प्रा. और प्रबन्ध मण्डल किसी व्यक्ति को अन्य सदस्य अथवा व्यक्ति की लापरवाही से अथवा अन्य कारण से परिसर का उपयोग करने वाले व्यक्ति की लापरवाही के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा दि.वि.प्रा. और उसके प्रबंध-मण्डल को होने वाली क्षति की भरपाई की जाएगी।”</p>
36.	<p>खेल सुविधाओं के बाधित होने पर शुल्क वापसी :</p> <p>बिजली की आपूर्ति रुक जाने, खराब मौसम, वर्षा अथवा प्रबंधन के नियन्त्रण से बाहर किसी अन्य कारण के लिए राशि एनईएफटी आरटीजीएस के माध्यम से वापिस की जाएगी या भविष्य में समायोजित की जाएगी।</p> <p>टिप्पणी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. यदि आवेदक को सदस्यता के अनुमोदन/अस्वीकार होने की सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो उनकी यह जिम्मेवारी होगी कि वे आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के 30 दिनों के अंदर अपनी सदस्यता के अनुमोदन के बारे में पूछताछ करें। ऐसा पत्र प्राप्त न होने से सदस्य का कोई दावा नहीं होगा। 2. मासिक अंशदान के बिल को ई-मेल द्वारा प्रत्येक तिमाही भेजा जाएगा। सदस्यों को एसएमएस भी भेजा जाएगा कि बिल ई-मेल द्वारा भेज दिया गया है। सदस्यों से अपेक्षित है कि वे अन्तिम तिथि या उसके पूर्व बकायों का भुगतान कर दें। देरी से भुगतान के लिए 500 रु. अधिभार वसूला जाएगा। 3. खेल सुविधा क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले सदस्य को स्वागत कक्ष/गेट पर तैनात सुरक्षा कार्मिक/खेल परिचारक को सदस्यता कार्ड/रसीद दिखाना अनिवार्य है। परिसर के कर्मचारी/अधिकारी किसी भी समय कहीं भी सदस्यता कार्ड की जांच कर सकते हैं।

परिसर की उप-विधि

1.	<p>परिभाषा:- इस 'उप-विधि' में प्रयोग किए गए 'सदस्य' शब्द में व्यक्तिगत, निगमित, अस्थायी, विशेष अस्थायी, आकस्मिक, मानद, विशेष मानद, एसोसिएट, अनिवासी भारतीय, वरिष्ठ नागरिक सदस्यता अवधि, वार्षिक और छात्र सदस्यता शामिल है।</p>
2.	<p>कार्य दिवस और समय:- परिसर सोमवार जो कि खेल-सुविधाओं के लिए छुट्टी का दिन है और प्रबन्ध-मण्डल द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित किसी दिन और तीन राष्ट्रीय अवकाश दिनों (अर्थात् 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर) और दीपवली, होली एवं दशहरा (अपराह्न 2.00 बजे के बाद) को छोड़ कर सप्ताह के सभी दिनों को खुला रहेगा। परिसर सामान्यतः सर्दियों में अर्थात् 1 दिसम्बर से 28 फरवरी तक प्रातः 6.30 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक और गर्मियों में अर्थात् 1 मार्च से 30 नवम्बर तक प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक खुला रहेगा।</p>
3.	<p>विभिन्न खेलों/ गतिविधियों के लिए समय प्रबंध बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित होगा। इसे समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।</p>
4.	<p>परिसर के प्रशासनिक/लेखा कार्यालय प्रत्येक रविवार, दूसरे शनिवार और सभी राजपत्रित अवकाश दिवसों को बंद रहेंगे। लेखा कार्यालय द्वारा भुगतान प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक (दोपहर 1.00 बजे से 1.30 बजे तक भुगतान अवकाश को छोड़कर) स्वीकार किया जाएगा।</p>
5.	<p>प्रबन्ध बोर्ड ऐसे विशिष्ट दिन निर्धारित कर सकता है, जिसमें अतिथियों को आने की अनुमति नहीं होगी और इसके अतिरिक्त खिलाड़ियों द्वारा कोचिंग और प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं के उपयोग हेतु विशिष्ट समय/दिन निर्धारित कर सकता है।</p>
6.	<p>परिसर के कर्मचारी: सदस्य, उनके अतिथि और आश्रित व्यक्ति परिसर के किसी कर्मचारी के साथ गाली-गलौच नहीं करेंगे और किसी भी स्टाफ-सदस्य के साथ किसी प्रकार का झगड़ा आदि नहीं करेंगे। परिसर के किसी भी कर्मचारी द्वारा सदस्य के विरुद्ध दुर्व्यवहार करने की स्थिति में उसी/अगले कार्य दिवस को सचिव को लिखित में मामले की रिपोर्ट की जाएगी और शिकायत पुस्तिका में शिकायत दर्ज की जाएगी। सचिव या तो स्वयं मामले की जांच कर सकते हैं अथवा मामला प्रबंध बोर्ड के समक्ष, जैसा वह आवश्यक समझें, भेज सकते हैं।</p>
7.	<p>किसी भी सदस्य, उनके आश्रित व्यक्ति अथवा अतिथि द्वारा परिसर के किसी भी कर्मचारी को निरुद्देश्य, व्यक्तिगत कार्य अथवा अन्य किसी प्रकार से उनके कार्य से कहीं भी भेजा नहीं जाएगा।</p>
8.	<p>कर्मचारी को इनाम देना:- कोई भी सदस्य परिसर के किसी भी कर्मचारी को इनाम के रूप में कोई राशि नहीं देगा। कर्मचारी/परिसर के कर्मचारी इनाम नहीं मांगेंगे/लेंगे।</p>
9.	<p>पौधो, पौध और लघु पौधों की आपूर्ति: पौधों, पौध और लघु पौधों की बिक्री की अनुमति नहीं है। सदस्य माली अथवा किसी कर्मचारी को ऐसा करने के लिए नहीं कहेंगे। मालियों द्वारा सदस्यों को पौधे, फूल आदि देना मना है।</p>
10.	<p>वस्तुओं/सामग्री की बिक्री: खेल परिसर में अधिकृत दुकान से भिन्न किसी अन्य द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री बेचने पर कड़ी पाबंदी है। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।</p>
11.	<p>क्षति एवं टूट-फूट: यदि सुविधाओं का उपयोग करने के दौरान सदस्यों, उनके अतिथियों आश्रितों अथवा उनके नौकरों द्वारा परिसर की किसी भी सम्पत्ति की क्षति होती है तो उनसे सभी क्षति की पूरी कीमत वसूली जाएगी। तथापि, प्रबन्ध-मण्डल की राय में, किसी सम्पत्ति को जानबूझ कर तोड़ा गया हो तो सदस्य को उस क्षतिग्रस्त संपत्ति की राशि की छह गुना राशि का भुगतान करना होगा। इसके अलावा, ऐसे मामलों में, प्रबन्धन परिसर संपत्ति का जानबूझ कर नुकसान करने वाले सदस्यों की सदस्यता को सस्पेंड/सदस्यता समाप्त कर सकता है। यदि गैर-सदस्य इस प्रकार की गतिविधि करते हैं तो क्षतिग्रस्त संपत्ति की राशि का भुगतान करने के अलावा, खेल परिसर में उनका प्रवेश निषेध कर दिया जाएगा।</p>
12.	<p>सुझाव या शिकायत: यदि कोई सुझाव या शिकायत हो, तो इस उद्देश्य के लिए रखी गई सुझाव/शिकायत-पुस्तिका में उसे दर्ज किया जा सकता है, जिसे किसी भी सदस्य द्वारा रिसेप्शन से प्राप्त किया जा सकता है। सुझाव/शिकायत को सचिव और प्रबन्ध बोर्ड द्वारा देखा जाता है और तदनुसार निपटाया जाता है। शिकायतों को मोबाइल ऐप</p>

	“Smartcity311” के माध्यम से ऑनलाइन भी रजिस्टर किया जा सकता है। तथापि, पति-पत्नी और आश्रित बच्चों को सुझाव/शिकायत पुस्तिका में सुझाव अथवा शिकायत दर्ज करने की अनुमति नहीं है। यह स्वयं सदस्य द्वारा दर्ज की जानी चाहिए।
13.	परिसर का सामान: किसी भी सदस्य अथवा परिसर के बाहर के किसी भी संगठन को परिसर की सम्पत्तियाँ जैसे फर्नीचर, क्रांकर्री अथवा अन्य उपकरण जारी/किराए पर नहीं दी जाएंगी।
14.	पालतू जानवर: परिसर के किसी भी भाग में कुत्तों/पालतू जानवरों को ले जाने की अनुमति नहीं है। इस उप-विधि का उल्लंघन करने पर कुत्ते/पालतू जानवर के मालिक पर निर्दिष्ट जुर्माना लगाया जाएगा।
15.	साईकिल/स्कूटर: परिसर के लॉन/कोर्ट, जॉगिंग ट्रैक में साईकिल, स्कूटर और मोटर साईकिल चलाने की अनुमति नहीं है।
15.1	जॉगिंग ट्रैक पर पैरेम्बुलैटर्स का उपयोग करना सख्त मना है।
16.	नोटिस: किसी भी छपी सामग्री/सर्कुलर पत्र को परिसर के नोटिस बोर्ड पर लगाने से पहले परिसर के सचिव को अनुमोदन के लिए भेजना होगा। सदस्यों को किसी भी प्रकार का नोटिस लगाने की अनुमति नहीं है। नोटिस को सामान्यतः एक सप्ताह के लिए लगाया जाएगा।
17.	भुगतान: प्रबन्ध-मण्डल नकद में किए गए भुगतान के लिए तब तक जिम्मेदार नहीं होगा, जब तक कि ऐसा भुगतान समुचित रसीद देकर प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा न किया गया हो।
18.	वाहनों की पार्किंग: सदस्य अपने कार/स्कूटर/साईकिल/मोटर साईकिल आदि की पार्किंग केवल निर्धारित सतही पार्किंग खंड पर ही करें। निर्धारित पार्किंग खंड से बाहर पार्किंग करने की अनुमति नहीं है।
19.	‘नो पार्किंग एरिया’ में गलत तरीके से वाहन खड़ा करने के मामले में सदस्यों/उनके आश्रितों व्यक्तियों को जुर्माना अदा करना होगा।
20.	खेल परिसर किसी वाहन के खाने अथवा वाहन के अंदर रखी किसी वस्तु अथवा लगी हुई वस्तु चाहे वह वाहन के अन्दर रखी हो अथवा उसमें फिट की गयी हो, के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
21.	खेल परिसर के अंदर साईकिल सहित वाहनों की पार्किंग पूर्णतः स्वामी के जोखिम पर है।
22.	परिसर में तेज गति से वाहन चलाना: परिसर में कारों/स्कूटरों/मोटर साईकिलों की गति 10 कि.मी. प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिसर में गति का अधिक होना और हॉर्न जोर से बजाना मना है।
23.	ड्रेस नियम: सदस्य परिसर में ड्रेस पहनने के संबंध में उचित मर्यादा का पालन करें। किसी भी विशेष खेल सुविधा का प्रयोग करते हुए उपयुक्त खेल परिधान पहने जाए। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी खेल सुविधा का उपयोग करने के लिए सलवार कमीज/कुर्ता पजामा, कुर्ता धोती, बनियान, चप्पल/बाथरूम स्लिपर्स, ड्रेसिंग गाउन इत्यादि को पहनने की अनुमति नहीं होगी। तथापि, जॉगिंग ट्रैक का उपयोग करते हुए सलवार कमीज, कुर्ता पजामा, धोती और साड़ी पहनने की अनुमति होगी।
24.	प्रत्येक खेल/गेम के लिए उप-विधि में निर्धारित उचित स्पोर्ट्स-किट पहननी होगी।
25.	अल्पाहार:
25.1	परिसर में बाहर का खाना लाना निषेध है।
25.2	खेल परिसर में जन्मदिन और अन्य पार्टियां करने की अनुमति नहीं है।
25.3	परिसर में सामाजिक आयोजन करने की अनुमति नहीं है।
25.4	खेल परिसर में किसी भी उत्सव को मनाने की सख्त मनाही है।
26.	मद्यपान एवं धूम्रपान:
26.1	कॉम्प्लैक्स के परिसर में शराब या अन्य नशीली वस्तुओं या धूम्रपान का सेवन करते हुए पाए जाने वाले सदस्यों/गैर-सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी/उनको खेल परिसर में प्रवेश वर्जित कर दिया जाएगा।
27.	शूटिंग/फोटोग्राफी कॉमर्शियल फिल्में/विज्ञापनों के लिए निर्दिष्ट प्रतिदिन शुल्क के साथ वापसी योग्य प्रतिभूति जमा राशि का

	भुगतान अग्रिम राशि के रूप में किया जाए।
28.	<p>अनुशासनहीनता के कारण सदस्यता का निलम्बन: आयुक्त (खेल) को खेल परिसर में अनुशासनहीनता करने पर किसी भी सदस्य और आश्रित की सदस्यता को निलम्बित करने का अधिकार है, जिसमें खेल परिसर के नियमों, विनियमों और उप-विधि का उल्लंघन करना शामिल है। गैर सदस्यों द्वारा ऐसा आचरण करने पर उनका परिसर में प्रवेश करना वर्जित होगा। सदस्यता के निलम्बन पर निम्न कार्यवाही की जाएगी:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) निलम्बित सदस्य को सदस्यता की स्थिति पर सदस्य को सदस्यता पुनः ग्रहण करने का अधिकार (लीयन) होगा। 2) उसे सदस्यता कार्ड वापिस करना होगा। 3) जब तक निलम्बन समाप्त नहीं हो जाता तब तक उसे सुविधाओं के उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। 4) जांच के पश्चात् यदि सदस्य निर्दोष सिद्ध होता है, तो उसे बकाया राशि का भुगतान करना होगा। यदि सदस्य दोषी सिद्ध होता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी।
29.	परिसर में हथियार और गोला-बारूद ले जाने की अनुमति नहीं है।
30.	<p>विदेशी नागरिकों की पहचान ऊ्यूटी-कर्मि खेल परिसर में खेल सुविधाओं का उपयोग करने वाले विदेशी नागरिकों से निम्नलिखित दस्तावेजों की जांच करें :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) पासपोर्ट और वीजा। 2) उन संस्थानों/संगठनों से पत्र, जहाँ विदेशी नागरिक कार्यरत हो। 3) कोई भी अन्य दस्तावेज, जो दिल्ली में उस विदेशी नागरिक के कानूनी रूप से उसके निवास की पुष्टि करता है।

टेनिस

1.	टेनिस के लिए क्ले-कोर्ट एवं सिन्थेटिक सरफेस कोर्ट उपलब्ध हैं। क्ले कोर्ट के लिए कोई भुगतान नहीं करना होगा। घंटों के आधार पर निर्धारित प्रभारों के अनुसार सदस्यों, अतिथियों और आकस्मिक सदस्यों द्वारा भुगतान 'करो और खेलो' आधार पर सिन्थेटिक सरफेस कोर्ट का प्रयोग किया जायेगा।
2.	सदस्य/आश्रित सदस्य खेलने से पूर्व परिचर के यहाँ रखे गये रजिस्टर में अपना नाम एवं सदस्यता संख्या और आने का समय लिखेंगे। परिचर/परिसर प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर सदस्यता कार्ड/रसीद दिखानी होगी।
3.	खेलने के लिए प्राथमिकता 'पहले आओ, पहले खेलो' के आधार पर होगी। तथापि, सदस्यों को प्रातः 6.00 बजे से 8.00 बजे तक और सांय 6.00 बजे से रात 8.00 बजे तक के व्यस्त घंटों के दौरान भी खेलने का अधिकार होगा।
4.	अस्थायी/आकस्मिक सदस्य और अतिथि प्रातः 8.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक और रात्रि 8.00 बजे से कोर्ट को बुक कर सकते हैं।
5.	क्ले कोर्ट पर खेल की अवधि आधे घण्टे होगी अथवा एक सैट होगी, इनमें से जो भी पहले खत्म होगी, वही अवधि होगी। 5 ऑल होने पर टाई ब्रेकर होगा। सदस्यों की भीड़ होने पर केवल एक छोटे सैट अर्थात 11 गेम से अधिक खेलने की अनुमति नहीं होगी।
6.	तैयारी (वार्मिंग अप) :- तैयारी (वार्मिंग अप) की अवधि 3 मिनट की होगी, जो 30 मिनट के खेलने के समय में ही शामिल होगी।
7.	सिंगल्स :- सिंगल्स तभी खेला जाएगा, जब कोई डबल्स अथवा "मेड अप फोर" प्रतीक्षा न कर रहा हो।
8.	प्लेयिंग गिअर :- खेलने के लिए सदस्यों/आश्रित सदस्यों को अपना टेनिस रैकेट और बॉल स्वयं लानी होगी।
9.	बॉल-ब्वॉय की अनुमति नहीं होगी न ही उन्हें नियुक्त किया जायेगा।
10.	धूम्रपान कोर्ट क्षेत्र में धूम्रपान करना मना है।
11.	ड्रेस खेलते समय टी-शर्ट, शॉर्ट्स (महिलाओं के लिए स्कर्ट्स, शॉर्ट्स और लेगिंग्स) तथा टेनिस जूते पहनने होंगे। ट्रैक सूट पहनने की अनुमति केवल सर्दियों में होगी।
12.	कोचिंग निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर, कोचिंग के लिए मार्कर की सेवाएं उपलब्ध होगी। कोचिंग के लिए एक सिन्थेटिक कोर्ट उपलब्ध रहेगा।
13.	प्रेक्टिस वाल आधे कोर्ट जितनी एक प्रैक्टिस वाल प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध है। प्रत्येक आधे कोर्ट पर अधिकतम दो व्यक्ति प्रैक्टिस कर सकते हैं, यदि अन्य सदस्य प्रैक्टिस के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं तो बॉल का उपयोग करने की सीमा एक समय में 10 मिनट होगी।
14.	समय (क्ले कोर्ट) गर्मियों में (1 मार्च से 30 नवम्बर) पूर्वाह्न 6 बजे से पूर्वाह्न 10 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपराह्न 9 बजे तक। सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपराह्न 8.30 बजे तक।
15.	सिन्थेटिक कोर्ट <ol style="list-style-type: none"> सिन्थेटिक कोर्ट 'भुगतान करो और खेलो' सुविधा है। दिन के प्रकाश (डेलाइट समय) और फ्लड लाइट में खेलने के लिए निर्धारित प्रभार का भुगतान करना होगा। बुकिंग राशि का भुगतान रिसेप्शन पर किया जाएगा। अपेक्षित प्रभारों का भुगतान कर सदस्य तीन दिन पहले और आकस्मिक सदस्य एक दिन पहले ऑनलाइन कोर्ट बकु कर सकते हैं। कोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार की खाने की सामग्री, चाय/कॉफी, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि की अनुमति नहीं होगी। कोर्ट के अंदर लाने वाली बॉले रबड़ के बेस वाले एक कैन में अथवा एक कार्ड-बोर्ड बाक्स में होनी चाहिए। बाल वाली प्रेशराइज्ड कैन खुली होनी चाहिए और इसे कोर्ट के बाहर छोड़ना चाहिए। कोर्ट के अंदर लकड़ी अथवा एल्युमिनियम बेस वाली कुर्सियों/मेजों की अनुमति नहीं होगी।

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">6. कोर्ट में केवल नॉन मार्किंग शूज़ पहनने की अनुमति होगी।7. टेनिस कोर्ट में म्यूजिक प्ले करने की अनुमति नहीं है।8. परिसर प्रबंधन की अनुमति के बिना टेनिस एरिना में या उसके आसपास पोस्टर/बैनर लगाने की अनुमति नहीं है।9. कोर्ट में उचित शिष्टाचार और अनुशासन बनाए रखें। |
|---|

टेबल टेनिस

1.	सदस्यों एवं उनके आश्रितों द्वारा निर्धारित समयावधियों में सुविधाओं का उपभोग किया जा सकता है। अतिथि एवं अनियत सदस्य भी निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान के पश्चात् सुविधाओं का उपभोग कर सकते हैं।
2.	वे सभी जो खेलने के इच्छुक हैं उन्हें अपने आगमन पर स्वागत कक्ष/परिचारक के पास रखे गए रजिस्टर में अपना नाम एवं सदस्यता संख्या दर्ज करनी होगी।
3.	परिसर कर्मचारी के मांगने पर सदस्यता कार्ड/भुगतान की रसीद दिखानी होगी।
4.	खेलने की प्राथमिकता- "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर खेलने की अनुमति है। परिचारक टेबल के समुचित उपयोग की निगरानी रखेंगे। भीड़ होने की स्थिति में 'सिंगल' खेलने की अनुमति नहीं होगी, तब केवल 'डबल्स' खेलने की अनुमति होगी।
5.	खेलने की अवधि- खेलने की अनुमति 20 मिनट अथवा एक बाजी तक, जो भी पहले हो, के लिए प्रदान की जाएगी। वार्मअप का समय अधिकतम 3 मिनट का होगा जो कि 20 मिनट में ही शामिल माना जाएगा।
6.	खेलने के उपकरण- खिलाड़ियों को खेलने के लिए स्वयं का टेबल टेनिस बैट और बॉल लानी होगी।
7.	परिधान-निकर (शॉर्ट्स)/ टैंक लोअर। खेलने के दौरान टी-शर्ट एवं खेलने वाले जूते पहनने की अनुमति है।
8.	धूम्रपान-टेबल टेनिस हॉल के अंदर धूम्रपान करना सख्त मना है।
9.	समुचित व्यवहार का पालन निम्नानुसार किया जाएगा:- <ol style="list-style-type: none">1) जब टेबल का उपयोग नहीं किया जा रहा हो, सभी लाइट ऑफ करें।2) शांति बनाए रखें।3) खेल/समय खत्म होने पर टेबल खाली कर दें।4) परिधान संबंधी विनियमों का अनुपालन करें।5) अपने नाम और सदस्य संख्या के साथ अपने आने का समय दर्ज करें।6) दीवारों के सहारे खड़े न हों, वहाँ रखी गई कुर्सियों पर बैठें।
10.	समयावधि:- ग्रीष्मकालीन समयावधि (1 मार्च से 30 नवम्बर) : प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक। शीतकालीन समयावधि (1 दिसम्बर से 28 फरवरी तक) : प्रातः 6.30 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक।

आउटडोर बैडमिंटन

1.	परिसर समयावधि के अनुसार बैडमिंटन कोर्ट पर सदस्य और उनके आश्रित खेल सकते हैं।
2.	अनियत सदस्य और अतिथि निर्धारित दरों के अनुसार दिन का भुगतान करके कोर्ट का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि उन्हें क्रमशः प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक और सायं 6.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक कोर्ट के उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
3.	वे सभी जो खेलने के इच्छुक हैं, उन्हें अपने आगमन पर स्वागत कक्ष/परिचारक के पास रखे गए रजिस्टर में अपना नाम, सदस्यता संख्या और आगमन का समय दर्ज करना होगा। परिसर कर्मचारी को सदस्यता कार्ड/भुगतान की रसीद दिखानी होगी।
4.	खेलने की प्राथमिकता – यह 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर होगी। परिचारक आगमन पंजिका पर आगमन क्रम के अनुसार कोर्ट आवंटित करेगा। 1) कोर्ट संख्या 1 और 2 – सदस्यों के लिए। 2) कोर्ट संख्या 3 - आश्रितों के लिए।
5.	खेलने की अवधि –40 मिनट अथवा एक बाजी, इनमें से जो भी पहले हो। वार्मिंग अप के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा। यह खेल की अवधि के 40 मिनट में ही शामिल माना जाएगा।
6.	जब कोई "डबल्स" प्रतीक्षारत नहीं होगा तभी "सिंगल्स" खेला जाएगा।
7.	खेल उपकरण (स्पोर्ट्स गियर) : खिलाड़ियों को अपना स्वयं का रैकेट एवं शटल कॉक्स लाना होगा।
8.	ड्रेस – निकर (शॉर्ट्स) अथवा ट्रैक लोअर के साथ ही टी-शर्ट एवं स्पोर्ट्स जूते पहनने की अनुमति होगी।
9.	समयावधि : ग्रीष्मकालीन समयावधि: (1 मार्च से 30 नवम्बर तक) : प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक। शीतकालीन समयावधि (1 दिसम्बर से 28 फरवरी तक) : प्रातः 6.30 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक।
10.	आउटडोर बैडमिंटन कोर्ट में संगीत बजाने की अनुमति नहीं है।
11.	परिसर प्रबंधन की अनुमति के बिना आउटडोर बैडमिंटन एरिना के अंदर अथवा उसके चारों ओर विज्ञापन/बैनरों के प्रदर्शन की अनुमति नहीं है।
12.	कोर्ट में समुचित व्यवहार एवं अनुशासन का पालन किया जाना अपेक्षित है।
13.	कोर्ट के अंदर खाद्य पदार्थ, चाय/कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि की अनुमति नहीं है।

स्काॅश

1.	परिसर समयावधि के अनुसार सदस्य और उनके आश्रित कोर्ट का उपयोग कर सकते हैं।
2.	अनियत सदस्य और अतिथि सदस्य निर्धारित दरों के अनुसार दिन का भुगतान करके कोर्ट का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि उन्हें क्रमशः प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक और शाम 6.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक के बीच कोर्ट के उपयोग में प्राथमिकता प्रदान नहीं की जाएगी।
3.	वे सभी जो खेलने के इच्छुक हैं, अपने आगमन पर स्वागत कक्ष/परिचारक के पास रखे गए रजिस्टर में अपना नाम, सदस्यता संख्या और आगमन का समय दर्ज करना होगा।
4.	परिसर कर्मचारी को सदस्यता कार्ड/भुगतान की रसीद दिखानी होगी।
5.	खेलने की प्राथमिकता:- यह 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर होगी। परिचारक कोर्ट आबंटित करेगा।
6.	खेलने की अवधि:- 30 मिनट अथवा एक बाजी, इनमें से जो भी पहले हो। नोकिंग/वार्मिंग अप के लिए 3 मिनट से अधिक का समय नहीं दिया जाएगा, जो कि खेलने की 30 मिनट की अवधि में ही शामिल होगा।
7.	आरक्षित कोर्ट:- व्यक्तिगत सदस्यता वालों के लिए कोर्ट नं.1 और कोर्ट नं.2 क्रमशः प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक और शाम 6.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक आरक्षित रहेंगे।
8.	खेल उपकरण (स्पोर्ट्स गियर) : खिलाड़ियों को अपना स्वयं का स्क्वाॅश रैकेट एवं बॉल लानी होगी।
9.	ड्रेस – खेलने के लिए निकर (शॉर्ट्स)/टी-शर्ट एवं खेलने वाले जूते पहनने की अनुमति होगी। वार्मिंग अप के लिए ट्रैक सूट पहन सकते हैं। रंगीन सोल वाले जूते पहनने की अनुमति नहीं होगी।
10.	सदस्यों को कोर्ट में जाने से पहले अपने जूते साफ करने होंगे।
11.	धूम्रपान- कोर्ट अथवा दर्शक-दीर्घा में धूम्रपान की अनुमति नहीं है।
12.	समयावधि : ग्रीष्मकालीन समयावधि: (1 मार्च से 30 नवम्बर तक) : प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक। शीतकालीन समयावधि (1 दिसम्बर से 28 फरवरी तक) : प्रातः 6.30 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक।
13.	स्काॅश कोर्ट में संगीत बजाने की अनुमति नहीं है।
14.	परिसर प्रबंधन की अनुमति के बिना स्काॅश एरिना के अंदर अथवा उसके चारों ओर विज्ञापन/बैनरों को प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं है।
15.	खेल-प्रतियोगिता के दौरान दर्शक-दीर्घा में अधिकतम 25 खिलाड़ियों के बैठने की अनुमति है।
16.	कोर्ट में समुचित व्यवहार एवं अनुशासन का पालन करना अपेक्षित है।
17.	कोर्ट के अंदर खाद्य सामग्री, चाय/काँफी, कोल्ड ड्रिंक्स, इत्यादि की अनुमति नहीं है।

ताइकांडो

1.	निर्धारित शुल्क के भुगतान पर सदस्य, उनके आश्रित सदस्य और गैर सदस्य ताइकांडो/कराटे की कक्षा में शामिल हो सकते हैं।
2.	ताइकांडो की कक्षा प्रत्येक मंगलवार से रविवार को शाम 5.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक (शीतकाल में) एवं शाम 5.30 बजे से रात्रि 8.30 बजे (ग्रीष्मकाल में) तक आयोजित की जाएंगी।
3.	खिलाड़ियों/प्रतिभागियों को खेल के आरंभ होने से 10 मिनट पहले ही प्रैक्टिस एरिया में उपस्थित होना चाहिए।
4.	ड्रेस : प्रतिभागियों को केवल ताइकांडो/कराटे की उचित यूनिफार्म में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। स्वयं की यूनिफार्म खरीदना जरूरी है। प्रशिक्षण क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार के जूतों की अनुमति नहीं होगी।
5.	प्रतिभागियों के अंगुलियों/अंगूठों के नाखून सही ढंग से कटे होने चाहिए।
6.	प्रैक्टिस एरिया में प्रतिभागियों के अतिरिक्त किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं होगी। दर्शक एरिना के बाहर से देख सकते हैं।
7.	धूम्रपान करना सख्त वर्जित है।
8.	नियमानुसार कक्षा में सख्त अनुशासन बनाए रखना होगा। कोच/प्रभारी को प्रैक्टिस को रोकने अथवा किसी खिलाड़ी को दुर्व्यवहार अथवा नियमों का पालन ना करने पर निष्काषित करने का अधिकार है।
9.	प्रतिभागियों/अभिभावकों को परिसर के प्राधिकृत स्टाफ को निर्धारित फीस का भुगतान करना होगा और रसीद प्राप्त करनी होगी। कोचिंग कक्षा में जाने के लिए यह रसीद प्रमाण होगी।

क्रिकेट

1.	यहाँ क्रिकेट मैदान पर एक मुख्य पिच है, जो मैचों के लिए सदस्यों और प्रतिष्ठित क्लबों/फर्मों हेतु एक दिन (प्रातः 9.00 बजे से सायं 4.00) के लिए किराये पर उपलब्ध है। यह मुख्य पिच प्रैक्टिस हेतु उपलब्ध नहीं है।
2.	ये उपनियम प्राथमिक रूप से क्रिकेट मैदान स्थित मुख्य पिच के लिए हैं।
3.	ग्राउंड बुक करवाने संबंधी निर्धारित शुल्क ग्राउण्ड बुकिंग करते समय "केन्द्रीय लेखा इकाई (खेल), दि.वि.प्रा." के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/भुगतान आदेश द्वारा भुगतान किया जाना है। भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड/आर.टी.जी.एस. /एनईएफटी/नेट-बैंकिंग द्वारा भी किया जा सकता है। यदि खराब मौसम अथवा अन्य किसी कारण से खेल संभव नहीं हो पाता है तो राशि वापस कर दी जाएगी।
4.	बुकिंग अग्रिम रूप से करवानी पड़ती है एवं बैंक ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर/क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा बैंक अंतरण द्वारा ही हायर करने संबंधी शुल्क का भुगतान करना होता है।
5.	हालांकि, मैच से 2 दिन पहले बुकिंग की पुनः पुष्टि करनी होती है। मैदान को किराये पर देने का अधिकार प्रबंधन के पास सुरक्षित है।
6.	निम्नलिखित को उपलब्ध करवाया जाएगा: 1) पिच रोलर 2) लाइन के साथ सीमा रेखा (बाउंड्री) की मार्किंग 3) स्कोर बोर्ड
7.	क्रिकेट मैदान पर बैठने की व्यवस्था उपलब्ध है।
8.	परिसर में खाना बनाने/गर्म करने की अनुमति नहीं है।
9.	धूम्रपान की अनुमति नहीं है।
10.	मादक पेय पदार्थों का सेवन सख्त निषेध है।
11.	खेलते समय उचित क्रिकेट ड्रेस पहननी होगी।
12.	खेल उपकरण/सामग्री – टीम को अपने स्वयं के खेल उपकरण। सामान लाने होंगे।
13.	बैनर/विज्ञापन – जब तक लिखित रूप में विशिष्ट अनुमति नहीं ली जाती है तब तक बैनर/विज्ञापन बोर्ड लगाने की अनुमति नहीं है।
14.	परिसर प्रबंधन की अनुमति के साथ आवश्यक शुल्क देकर 15x15 फीट के टेंट को मैदान की सीमा पर बल्लियों, रस्सों आदि से व्यवस्थित किया जा सकता है।
15.	मैदान पर किसी भी वाहन की अनुमति नहीं है।
16.	परिसर में बाहर से खाद्य पदार्थ, चाय/कॉफी, कोल्डड्रिंक्स, इत्यादि नहीं लाए जाएंगे। ये सभी परिसर कैफेटेरिया से खरीदे जा सकते हैं।
17.	मैदान पर संगीत बजाने की अनुमति नहीं है। हालांकि कम आवाज पर केवल कॉमेंट्री हेतु माइक का प्रयोग किया जा सकता है।
18.	ईवेंट प्रबंधन एजेंसियों को क्रिकेट मैदान बुक करने की अनुमति नहीं है।
19.	क्रिकेट मैदान पर समुचित अनुशासन एवं शिष्टाचार बनाए रखा जाए।
20.	प्रबंधन के पास क्रिकेट मैदान की बुकिंग को बिना कोई कारण बताए अल्प अवधि सूचना मात्र पर रद्द करने का भी अधिकार है।

क्रिकेट-अभ्यास पिच

1.	तीन टर्फ और तीन सीमेन्टेड अभ्यास पिच उपलब्ध हैं। निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। सदस्यों एवं विशिष्ट क्लबों/फर्मों के उपयोग का समय निम्नानुसार है:- सदस्यों के लिए- सदस्यों को सोमवार (अवकाश) और कोचिंग समय को छोड़कर सभी दिनों में अभ्यास के लिए सीमेंट वाली पिच उपयोग करने की अनुमति है। प्रतिष्ठित क्लबों/फर्मों/सदस्यों के लिए- एक दिन के अभ्यास हेतु प्रतिष्ठित क्लबों/फर्मों/सदस्यों के लिए प्रातः 9.00 से सायं 3.00 बजे तक सोमवार को छोड़कर पिच किराये पर उपलब्ध है। निर्धारित शुल्क बैंक ड्राफ्ट/भुगतान आदेश अथवा क्रेडिट/डेबिट कार्ड/बैंक स्थानान्तरण द्वारा "केन्द्रीय लेखा इकाई (खेल), दि.वि.प्रा." के नाम से भुगतान किया जाना है।
2.	ऑनलाइन बुकिंग अग्रिम रूप में की जानी चाहिए और किराया प्रभार का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड आरटीजीएस/इनईएफटी/नेट बैंकिंग द्वारा किया जाएगा। अग्रिम बुकिंग अग्रिम रूप से अधिकतम 30 दिन पहले की जा सकती है।
3.	तथापि अभ्यास से दो दिन पूर्व बुकिंग की पुनः पुष्टि करवा ली जाए। अभ्यास पिच को किराए पर देने का अधिकार प्रबंधन के पास सुरक्षित है।
4.	अभ्यास की पीचें केवल अभ्यास के लिए हैं। इसका उपयोग प्राइवेट कोचिंग के लिए नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति प्राइवेट कोचिंग करता पाया गया तो उसे परिसर सुविधा के उपयोग से वंचित कर दिया जाएगा।
5.	अभ्यास पिच का उपयोग करने वाले, इस उद्देश्य के लिए निर्धारित किए गए क्षेत्र तक ही सीमित रहेंगे। आवंटित समय/अवधि के पूरे होने के पश्चात् उन्हें पिच छोड़नी होगी। उन्हें अन्य सुविधा क्षेत्रों/हरित क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं है।
6.	निम्नलिखित की व्यवस्था की जाएगी:- 1) रोल की हुई पिच 2) अभ्यास पिच के चारों ओर जाल,
7.	किसी प्रकार की बैठने की व्यवस्था नहीं की जाएगी।
8.	परिसर के अंदर खाना तैयार करने/गर्म करने की अनुमति नहीं है। धूम्रपान और मदिरा पान पर सख्त रोक है।
9.	ड्रेस: अभ्यास के लिए निर्धारित क्रिकेट ड्रेस पहननी होगी।
10.	खेल उपकरण/साज सामान:- खिलाड़ियों को खेल उपकरण/साज सामान अपना लाना होगा।
11.	बैनर/विज्ञापन:- जब तक मैनेजमेन्ट से लिखित रूप में विशेष अनुमति प्राप्त नहीं कर ली जाए, बैनर/विज्ञापन बोर्ड लगाने की अनुमति नहीं है।
12.	मैदान में शामिआने और टेंट लगाने की अनुमति नहीं है।
13.	मैदान में वाहन लाने की अनुमति नहीं है।
14.	परिसर के बाहर से खाने का सामान, चाय/कॉफी, कोल्ड-ड्रिंक्स इत्यादि नहीं ला सकते। उन्हें केवल परिसर के कैफेटेरिया से ही लेना होगा।
15.	अभ्यास पिच के चारों ओर संगीत बजाने की सख्त मनाही है।
16.	इवेंट प्रबंधन एजेंसियों को क्रिकेट पिच किराये पर लेने की अनुमति नहीं है।
17.	क्रिकेट पिच पर समुचित अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखा जाए।
18.	प्रबंधन के पास अभ्यास पिचों की बुकिंग को एक अल्प अवधि की सूचना पर बिना कोई कारण बताए रद्द करने का अधिकार है।

एरोबिक्स

1.	सदस्य एवं आश्रित निर्धारित शुल्क का भुगतान करके कक्षाओं में भाग ले सकते हैं। कक्षाओं में रिक्तियों की उपलब्धता होने पर निर्धारित भुगतान करके गैर सदस्यों को भी अनुमति दी जा सकती है।
2.	मासिक प्रभारों का भुगतान स्वागत कक्ष में किया जाएगा, जिसके लिए भागीदार द्वारा रसीद प्राप्त की जानी चाहिए।
3.	एरोबिक्स कक्षाएं सप्ताह में छ दिन (सोमवार अवकाश दिवस) लगेगी। गर्मी का समय: प्रातः 7 बजे से प्रातः 11 बजे तक और सायं 5 से 9 बजे रात्रि तक सर्दी का समय: प्रातः 7.30 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक और सायं 5 से 8.30 बजे रात्रि तक
4.	एरोबिक्स अनुदेशक द्वारा उपस्थिति दर्ज की जाएगी। भाग लेने वालों से अनुरोध है कि कक्षा आरम्भ होने से 10 मिनट पूर्व पहुंचें।
5.	ड्रेस – उचित खेल वस्त्र अथवा एरोबिक्स ड्रेस पहनी जाए।
6.	कक्षा क्षेत्र के अन्दर केवल भाग लेने वालों को अनुमति है।
7.	कक्षा क्षेत्र के अन्दर धूम्रपान वर्जित है।
8.	नियमानुसार कक्षा में सख्त अनुशासन रखा जाएगा। दुर्व्यवहार अथवा नियमों की अवहेलना करने के लिए अभ्यास रोकने अथवा किसी भागीदार को निष्कासित करने का अधिकार कोच/अनुदेशकों को होगा।
9.	एरोबिक्स हाल में मदिरा का सेवन वर्जित है।
10.	एरोबिक्स हॉल में खाने-पीने के सामान, चाय/कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, इत्यादि के सेवन की अनुमति नहीं है।
11.	इवेंट मैनेजमेन्ट एजेंसियों को एरोबिक्स हाल बुक करने की अनुमति नहीं होगी।
12.	एरोबिक्स हाल में उचित अनुशासन शिष्टता बनाए रखी जाए।

योग

1.	सदस्य एवं आश्रितों के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर योग कक्षाएं लगाई जाएंगी। कक्षा में रिक्तियां होने पर शुल्क का भुगतान करने पर गैर-सदस्यों को अनुमति दी जा सकती है।
2.	कक्षाओं के लिए समय-समय पर समय सूचित किया जाएगा।
3.	ड्रेस:- उचित वेश-भूषा हो, अच्छा हो यदि ढीले वस्त्र पहने जाएं जो अधिक आरामदेह हो। अभ्यास क्षेत्र के अन्दर जूतों की अनुमति नहीं है।
4.	योग अभ्यास हेतु दरियां/चटाइयां भागीदारों द्वारा स्वयं लाई जाएंगी।
5.	जब कक्षा लगी हो, तब भागीदार को छोड़कर किसी को भी अभ्यास क्षेत्र के अन्दर आने की अनुमति नहीं है। दर्शक बाहर से देख सकते हैं।
6.	योग कक्षाओं के दौरान धूम्रपान वर्जित है।
7.	योगाभ्यास के दौरान शान्ति रखी जाएगी।
8.	कक्षा में सख्त अनुशासन रखा जाएगा। अनुशासनहीनता और दुर्व्यवहार के लिए अभ्यास को रोकने और भागीदार को निकालने का अधिकार योग शिक्षक का होगा।
9.	योग शिक्षक के निर्देशों के तहत समय-समय पर विशेष कक्षाएं लगाई जा सकती हैं।
10.	निजी योग कोचिंग की अनुमति नहीं है।

बास्केटबॉल

1.	सदस्य एवं आश्रित सदस्य बास्केट बॉल कोर्ट पर परिसर के समय के अनुसार खेल सकते हैं। अतिथि अथवा आकस्मिक सदस्य के रूप में निर्धारित प्रभारों का भुगतान करके गैर सदस्य आ सकते हैं।
2.	समयावधि : ग्रीष्मकालीन समयावधि: (1 मार्च से 30 नवम्बर तक) : प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक शीतकालीन समयावधि (1 दिसम्बर से 28 फरवरी तक) : प्रातः 6.30 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक (यदि स्कूलों/कॉलेजों को कोर्ट दिया गया है, तो पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक कोर्ट उपलब्ध नहीं होगा।)
3.	गर्मियों में अपराह्न 6.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे और सर्दियों में अपराह्न 5 बजे से रात्रि 7 बजे के दौरान संगठित टीम खेल की अनुमति है। मैनेजमेन्ट के पास इसके लिए कोर्ट को देने का अधिकार सुरक्षित है।
4.	ड्रेस:- शर्ट, टी-शर्ट, और शॉर्ट्स/ट्रैक लोअर स्पोर्ट्स शूज। महिलाएं 'सलवार कमीज' और शर्ट एवं स्कर्ट पहन सकती हैं।
5.	व्यक्ति/टीम अपनी बास्केट बॉल स्वयं लाएगी।
6.	कोर्ट में धूम्रपान करना मना है।
7.	खेलने के लिए परिसर के कर्मचारियों के अनुरोध करने पर सदस्यता कार्ड/रसीद दिखानी होगी।
8.	खेल के दौरान अनुशासन एवं खेलने के वातावरण को बनाए रखना होगा। परिसर के नियम उपविधि का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को सुविधा का उपयोग करने से वंचित किया जा सकता है।
9.	कोर्ट में मादक पेय पदार्थों का सेवन पूर्णतः निषिद्ध है।
10.	कोर्ट में संगीत बजाने की अनुमति नहीं है।
11.	निजी बास्केटबॉल कोचिंग की अनुमति नहीं है।
12.	परिसर के बाहर से खाने-पीने का सामान, चाय/कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, इत्यादि लाने की अनुमति नहीं होगी। इनको परिसर के कैफेटेरिया से खरीदना होगा।
13.	इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों को बास्केटबाल कोर्ट बुक करने की अनुमति नहीं होगी।
14.	बास्केटबॉल कोर्ट में उचित अनुशासन एवं मर्यादा को बनाए रखा जाए।
15.	प्रबंधन के पास बास्केटबॉल कोर्ट की बुकिंग को बिना कारण बताए रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

तैराकी

1.	सदस्य एवं आश्रित व्यक्ति तरण-ताल की क्षमता के अनुसार स्थान की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर ताल की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। सदस्यों के साथ आने वाले अतिथियों को प्रवेश की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते की ताल में स्थान उपलब्ध हो और अपेक्षित शुल्क का भुगतान कर दिया गया हो।
2.	प्रत्येक सदस्य को अपना तैराकी पास/रसीद जमा करना आवश्यक है और स्वागत कक्ष में रखे गए रजिस्टर में आते जाते समय अपना नाम तथा समय, सदस्यता-संख्या लिखना भी जरूरी है।
3.	पास धारकों को तैरने की अनुमति मासिक/सीजन पास में यथानिर्धारित समय और सत्र में दी जाएगी। पास धारकों को अपनी पारी के समय से 15 मिनट पहले रिपोर्ट करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह समय किसी अन्य सदस्य को आबंटित कर दिया जाएगा।
4.	सभी तैराक तरण ताल में प्रवेश करने से पहले शॉवर बाथ करेंगे। साबुन, शैम्पू और तेल का प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें उचित पोशाक पहनना आवश्यक है। लम्बे बालों वाले तैराकों के लिए कैप पहनना अनिवार्य है। कोच/लाइफ-गार्ड द्वारा दी गई सभी हिदायतों का अनुपालन करना अति आवश्यक है। प्रबन्धक/कोच किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा दुर्व्यवहार करने/नियमों का उल्लंघन करने के कारण तैरने से मना कर सकता है। किसी भी दुर्घटना अथवा हादसे के लिए प्रबंधकों की कोई जवाबदेही नहीं है। सुविधा का उपयोग करते समय किसी भी चोट अथवा मृत्यु के लिए तैराक स्वयं जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यु के लिए तैराक स्वयं जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यु होने के मामले में किसी भी क्षतिपूर्ति के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
5.	गैर-तैराक नौसिखिए तैराक तरण-ताल के गहरे भाग में जाने से उन्हें रोकने हेतु लगाए बैरियर को पार नहीं करेंगे। नौसिखियों का लाल कैप पहनना अनिवार्य है। यदि कोई नौसिखिया उपर्युक्त प्रतिबंधों का उल्लंघन करेगा तो ऐसा वह अपने जोखिम पर करेगा।
6.	सदस्यों से अनुरोध है कि वे तालाब में न थूकें और न ही किसी अन्य तरीके से खराब करें। चर्मरोग/सर्दी-जुकाम से पीड़ित व्यक्ति को तैरने की अनुमति नहीं है।
7.	दर्शकों को पूलडेक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। वे दर्शक-दीर्घा में रह सकते हैं।
8.	पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को तरण ताल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तथापि, यदि किसी वयस्क व्यक्ति द्वारा बच्चे साथ लाए जाते हैं, तो 5 वर्ष से ऊपर और 8 वर्ष से नीचे के बच्चों को आने की अनुमति दी जा सकती है।
9.	कोई व्यक्ति चेंज रूम में कोई कीमती घड़ी/पर्स/धन/आभूषण आदि नहीं रखेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह ऐसा अपने जोखिम/जिम्मेवारी पर करेगा। सदस्यों की कीमती वस्तु/सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु प्रबंधक कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तैरते समय किसी भी प्रकार के आभूषणों जैसे- चेन, अंगूठी, चूड़ियां, इत्यादि पहनने की अनुमति नहीं है। तरण ताल परिसर में खाने की कोई वस्तु नहीं लाई जाएगी। धूम्रपान और मद्यपान पर सख्त रोक है।
10.	तरण-ताल प्रत्येक सोमवार बंद रहेगा।
11.	किसी भी तैराक को तरण ताल के उपयोग की अनुमति, बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
12.	किसी भी कारण से तरण-ताल के बंद होने/किए जाने पर तैराकी-शुल्क (दैनिक/मासिक/सत्रीय) वापिस नहीं किया जाएगा।
13.	एक सत्र में मुख्य पूल में 80 तैराकों (या जैसा कि पूल लाइसेंस में उल्लेख किया गया है) को केवल तैरने की अनुमति है।
14.	शराब के सेवन के बाद तैरना मना है।
15.	सदस्यों को बात करने के लिए एक समूह बनाने की अनुमति नहीं है।
16.	स्विमिंग पूल की चौड़ाई में तैराकी की अनुमति नहीं है।
17.	स्विमिंग पूल में संगीत बजाने की अनुमति नहीं है।
18.	स्विमिंग पूल में निजी कोचिंग की अनुमति नहीं है।
19.	स्विमिंग पूल परिसर में खाद्य पदार्थों, चाय/काँफी, कोल्ड ड्रिंक आदि की अनुमति नहीं है।
20.	इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों को स्विमिंग पूल बुक करने की अनुमति नहीं है।
21.	स्विमिंग पूल में उचित अनुशासन एवं सदाचार बनाए रखें।
22.	प्रबंधन को बिना कोई कारण बताए अल्पकालीन नोटिस पर स्विमिंग पूल की बुकिंग को रद्द करने का अधिकार है।
	संस्थान हेतु निर्देश
	संस्थाए निर्धारित शुल्क का भुगतान करके तरण-ताल को बुक कर सकती है। एक समय में अधिकतम 50 छात्रों को अनुमति दी जाएगी। छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह स्कूल/कॉलेजों/संस्थान की होगी। यदि किसी संस्थान द्वारा तरण-ताल को प्रशिक्षण/प्रतियोगिता हेतु बुक कर दिया जाता है, तो वह संस्थान तालाब की किसी भी टूट-फूट की पूरी क्षतिपूर्ति करेगा। किसी संस्थान/संस्था द्वारा तरण-ताल की बुकिंग को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। संगठन/संस्थान द्वारा रद्द करने के मामले में उनकी 25 प्रतिशत जमा राशि रद्दकरण प्रभार के रूप में काट ली जाएगी। प्रभार/शुल्क:- निर्धारित दर के अनुसार समय:- प्रातः:-

<p>प्रथम सत्र प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 7.00 बजे तक द्वितीय सत्र प्रातः 7.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक तृतीय सत्र प्रातः 8.00 बजे से प्रातः 9.00 बजे तक चतुर्थ सत्र प्रातः 9.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक पंचम सत्र प्रातः 10.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक छठा सत्र प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक</p> <p>सायं:- सातवां सत्र दोपहर 3.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक आठवां सत्र शाम 4.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक नवां सत्र शाम 5.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक दसवां सत्र शाम 6.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक ग्यारहवां सत्र शाम 7.00 बजे से शाम 8.00 बजे तक बारहवां सत्र रात 8.00 बजे से रात 9.00 बजे तक (केवल ग्रीष्मकालीन)</p> <p>(12 बजे से अपराह्न 3 बजे तक सफाई)</p>
<p>नोट:-एक सत्र में 45 मिनट की तैराकी होती है और 15 मिनट चेन्ज/शावर में लगते हैं।</p>

बालतरण-ताल

1.	प्रविष्टि सदस्यों के बच्चों के लिए जिनकी आयु 2 वर्ष से 5 वर्ष के बीच है "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर सीमित है।
2.	बाल तरण-ताल के डैक क्षेत्र के एक अनुचर उपस्थित रहेगा, जो बच्चे की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा।
3.	सदस्य के साथ आने वाले अतिथि को अपेक्षित शुल्क का भुगतान करने पर प्रविष्टि की अनुमति होगी बशर्ते, छोटे बच्चों के तालाब में स्थान उपलब्ध हो।
4.	अनुचर स्वागत कक्ष में रखे जाने वाले रजिस्टर में आने और जाने के समय बच्चों का नाम और उसकी सदस्यता संख्या दर्ज करेगा।
5.	तैराकी पास/रसीद प्रवेश के समय स्वागत कक्ष में जमा किए जाएंगे और तालाब छोड़ते समय वापिस लिए जाएंगे।
6.	पास धारकों को मासिक/सत्रीय/सामयिक पास में यथानिर्धारित आबंटित समय और सत्र में ही तैरने की अनुमति दी जाएगी। पास धारक आबंटित समय से 15 मिनट पहले रिपोर्ट करेंगे।
7.	किसी भी तैराक को तरण-ताल के उपयोग की अनुमति, बिना कोई कारण बताए, किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
8.	सभी तैराक समुचित पोशाक पहनकर तैरेंगे। लम्बे बालों वाले बच्चों के लिए कैप अनिवार्य है।
9.	तालाब के इंचार्ज/कोच/जीवन रक्षक द्वारा किसी भी कारण से दी गई सभी हिदायतों का पालन किया जाएगा। प्रबंधक/कोच किसी भी बच्चे/अनुचर को उसके दुर्व्यवहार अथवा नियमों का उल्लंघन करने के कारण बच्चों का तालाब में प्रवेश करने से मना कर सकता है।
10.	तैरने के दौरान किसी भी चोट लगने अथवा मृत्यु के लिए तैराक अथवा अनुचर ही जिम्मेदार होगी। प्रबन्धकरण किसी भी दुर्घटना के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
11.	तैरने के दौरान किसी भी दुर्घटना अथवा मृत्यु होने के मामले में किसी भी हर्जाने या दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
12.	चर्मरोग/खांसी और जुकाम से पीड़ित व्यक्ति को तैरने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
13.	सदस्यों से अनुरोध है कि वे तालाब में न थूकें और न ही किसी भी तरह से उसे प्रदूषित करें।
14.	आगन्तुकों को तालाब के डैक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।
15.	तरण-ताल परिसर में खाने-पीने का कोई भी सामान नहीं लाया जाना चाहिए।
16.	किसी भी कारण से तालाब बंद होने की स्थिति में पासों पर भुगतान वापिस नहीं किया जाएगा। समय:- प्रातः- प्रथम सत्र प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 7.00 बजे तक द्वितीय सत्र प्रातः 7.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक तृतीय सत्र प्रातः 8.00 बजे से प्रातः 9.00 बजे तक चतुर्थ सत्र प्रातः 9.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक पंचम सत्र प्रातः 10.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक छठा सत्र प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक सायं:- सातवां सत्र दोपहर 3.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक आठवां सत्र शाम 4.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक नवां सत्र शाम 5.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक दसवां सत्र शाम 6.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक ग्यारहवां सत्र शाम 7.00 बजे से रात 8.00 बजे तक बारहवां सत्र रात 8.00 बजे से रात 9.00 बजे तक (केवल ग्रीष्मकालीन) (12 बजे से अपराह्न 3 बजे तक सफाई)
17.	एक सत्र में बालतरण – ताल में केवल 20 तैराकों (या जैसाकि पूल लाइसेंस में उल्लेख किया गया है) को तैरने की अनुमति है।
	नोट:- एक सत्र में 45 मिनट की तैराकी होती है और 15 मिनट चेन्ज/शॉवर में लगते हैं।

फिटनेस केन्द्र/मल्टीजिम

1.	प्रवेश के समय प्रत्येक उपयोगकर्ता को स्वागत कक्ष में रखे गए रजिस्टर में अपना नाम लिखना आवश्यक है। सदस्यों को ड्रेस कोड के अनुसार पोशाक अर्थात् ट्रैक सूट, टी-शर्ट, टाइट्स आदि पहनना आवश्यक है।
2.	स्टाफ के सदस्य अथवा अन्य किसी सदस्य के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार बर्दाशत नहीं किया जाएगा। प्रबंधकों को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए किसी भी सदस्य को जिम्नेजियम के उपयोग करने से इंकार करने का पूरा अधिकार है।
3.	उपयोगकर्ताओं को परिसर में अपने कोच को लाने की अनुमति नहीं है। जिम में निरीक्षण/सहायता हेतु प्रशिक्षक निःशुल्क उपलब्ध है। उपयोगकर्ताओं को पूर्ण अनुशासन और निर्धारित अनुदेशों का अनुपालन करना होगा। प्रशिक्षक के पास किसी भी व्यक्ति को दुराचार अथवा नियमों का उल्लंघन करने पर सुविधा का प्रयोग करने से इंकार करने का पूरा अधिकार है।
4.	गंभीर दिव्यांगता/स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त उपयोगकर्ता को फिटनेस केंद्र उपयोग नहीं करने दिया जाएगा।
5.	मल्टीजिम में कोई खाद्यपदार्थ/पेय पदार्थ (पानी के अलावा) नहीं लाया जाएगा। धूम्रपान, मदिरा के सेवन अथवा किसी भी प्रकार के ड्रग्स के सेवन की सख्त मनाही है। म्यूजिक सिस्टम पर निजी कैसेट/सी.डी. /पेन-ड्राइव इत्यादि के प्रयोग की अनुमति नहीं है।
6.	सुविधा का उपयोग करते समय कोई दुर्घटना होने अथवा चोट लगने के लिए प्रबंधक जिम्मेदार नहीं होंगे। इस सेन्टर का उपयोग सदस्य के जोखिम पर होगा। इसी प्रकार दुर्घटना होने अथवा चोट लगने, मृत्यु होने के मामले में किसी भी क्षतिपूर्ति के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
7.	सदस्यों के कीमती सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रबंधकों की नहीं होगी। सदस्यों को चेन्ज रूम में अपने कीमती सामान/घड़ी/पर्स/रुपया-पैसा/आभूषण रखने की अनुमति नहीं है। इन नियमों का पालन न करने वाले व्यक्ति ऐसा काम अपने जोखिम पर करेंगे।
8.	14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वज़न उठाने की अनुमति नहीं है।
9.	जिम के भीतर दर्शकों के लिए अनुमति नहीं है।
10.	जिम में उपयोगकर्ता द्वारा किसी भी उपकरण को जान-बूझ कर पहुँचाई गई क्षति के लिए उपकरण को बदलने/मरम्मत करवाने की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की होगी/ अथवा पहली बार उन पर यथा निर्धारित जुर्माना लगाया जाएगा। उसके बाद ऐसे मामलों में उपयोगकर्ता को सेवाओं का प्रयोग करने से विवर्जित कर दिया जाएगा।
11.	सुविधा का प्रयोग करने के लिए अतिथियों को सदस्यों के साथ आना चाहिए। अतिथि द्वारा किसी भी प्रकार के दुराचार/दुर्व्यवहार/असुविधा के लिए सदस्य उत्तरदायी होगा।
12.	प्रभार/शुल्क- निर्धारित दरों के अनुसार।
13.	समय:- गर्मियों में (1 मार्च से 30 नवम्बर तक) : प्रातः 6.00 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक सायं 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी तक) : प्रातः 6.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक सायं 3.00 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक
	टिप्पणी: फिटनेस सेंटर लाइसेंस पर पेशेवर व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है और वह इसके ठीक प्रकार से संचालन और रख रखाव के लिए जिम्मेदार होता है। यदि कोई शिकायत करनी हो अथवा सुझाव देना हो तो उसे लाइसेंसधारी के पास रखी गई शिकायत/सुझाव पुस्तिका में लिखकर देना चाहिए। सदस्यगण किसी शिकायत/सुझाव के बारे में पारी प्रभारी को भी सूचित कर सकते हैं और यदि आवश्यकता पड़े तो सचिव को लिखित में दे सकते हैं।

स्केटिंग

प्रस्तावित नियम, विनियम	
1.	सदस्य और उनके आश्रित व्यक्ति खेल परिसर के समयानुसार स्केटिंग रिक का उपयोग कर सकते हैं।
2.	आकस्मिक सदस्य एवं अतिथि निर्धारित दरों के अनुसार दैनिक भुगतान करके स्केटिंग रिक का उपयोग कर सकते हैं। तथापि रिक में प्रवेश रिक में स्थान उपलब्ध होने पर दिया जाएगा और समय-समय पर अटैंडेंट/कोच द्वारा प्रवेश सीमित किया जा सकता है।
3.	सदस्य/आश्रित और अन्य व्यक्ति रिक प्रवेश करने से पूर्व अपने नाम, सदस्यता संख्या, रसीद संख्या और परिसर में आने के समय की प्रविष्टि परिचर के पास रखे रजिस्टर में करेंगे।
4.	मांगे जाने पर सदस्यता कार्ड/भुगतान की रसीद दिखानी होगी।

5.	स्कूली बच्चों के लिए प्रातः 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे के बीच निर्धारित दरों पर छूट की व्यवस्था होगी। स्कूलों/संस्थाओं/कॉलेजों द्वारा रिक का उपयोग पूर्व बुकिंग द्वारा निर्धारित समय पर किया जा सकता है।
6.	प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने स्केट और अन्य प्रोटेक्टिव हैड/बॉडी गियर लाए जाएं। स्केटर से लगने वाली किसी चोट के लिए परिसर उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी स्केटिंग के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी जिससे दूसरे भागीदार की सुरक्षा को खतरा हो। स्केटर को रिक से बाहर स्केटिंग करने की अनुमति नहीं होगी।
7.	दर्शक रिक में प्रवेश नहीं करेंगे, स्केटिंग रिक के चारों ओर रेलिंग पर बैठना सख्त मना है। दर्शक स्केटिंग गैलरी से स्केटिंग देख सकेंगे।
8.	रिक के अन्दर धूम्रपान और कुछ भी खाने अनुमति नहीं है।
9.	उपयोगकर्ता/दर्शकों द्वारा पूरा अनुशासन और समुचित शिष्टाचार बनाया रखा जाना चाहिए।
10.	नियमों की अवहेलना/खतरनाक स्केटिंग करने सम्बंधी दुर्व्यवहार करने पर परिचर/प्रशिक्षक को किसी भी स्केटर को रोकने या उसे रिक से बाहर निकालने का अधिकार होगा।
11.	'स्केट बोर्ड' का प्रयोग वर्जित (निषेध) है।
12.	स्टील के पहिये वाले स्केट को अनुमित नहीं दी जाएगी। शू के सामने की तरफ फिक्स कृत्रिम ब्रेक वाले रोलर स्केट को भी अनुमति नहीं दी जाएगी।
13.	सदस्य/आश्रित/गैर-सदस्य निर्धारित शुल्क का भुगतान करके स्केटिंग के प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं, जो समय-समय पर आयोजित किया जाएगा। इस अवधि के दौरान केवल ऐसे सदस्यों को अनुमित दी जाएगी, जो प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। इस अवधि के दौरान किसी दुर्घटना से बचने के लिए तेजी से स्केटिंग करने वालों को स्केटिंग रिक का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
14.	स्केटिंग शुल्क का भुगताने स्वागत कक्ष पर करें और रसीद प्राप्त करें।
15.	स्केटिंग रिक में संगीत बजाने की अनुमति नहीं है। तथापि, प्रतियोगिता आयोजक घोषणा करने के उद्देश्य से ध्वनि विस्तार व्यवस्था (पीए सिस्टम) का प्रयोग कर सकते हैं।
16.	स्केटिंग रिक में निजी कोचिंग की अनुमति नहीं है।
17.	खाद्य पदार्थ, चाय/कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि परिसर के बाहर से नहीं लाए जाएंगे। वे केवल परिसर कैफेटेरिया से ही खरीदे जाएं।
18.	प्रतियोगिता प्रबंधन एजेंसियों को स्केटिंग रिक बुक कराने की अनुमति नहीं है।
19.	स्केटिंग रिक में उचित अनुशासन और मर्यादा बनाये रखे।
20.	प्रबंधन के पास बिना किसी कारण बताए यहाँ तक कि अल्पसूचना पर स्केटिंग रिक की बुकिंग रद्द करने का अधिकार है।

इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम

1.	सदस्य, आश्रित सदस्य और अतिथि एवं आकस्मिक सदस्य निर्धारित शुल्क अदा करने पर बैडमिंटन कोर्ट में परिसर समय के अनुसार खेल सकते हैं।
2.	यह एक 'भुगतान करे एवं खेले' है। निर्धारित बुकिंग शुल्क 40 मिनट प्रति कोर्ट है।
3.	गैर सदस्यों को कोर्ट की बुकिंग करने से पहले आकस्मिक सदस्यता शुल्क का भुगतान करना होगा।
4.	कोर्ट बुकिंग शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है। अतिथि/आकस्मिक सदस्यता शुल्क का भुगतान स्वागत कक्ष, प्रशासन ब्लॉक पर किया जाए और उसकी रसीद ली जाए।
5.	सदस्यों/गैर-सदस्यों को स्टेडियम में प्रवेश करने से परिसर के ड्यूटी स्टाफ को वैद्य सदस्यता कार्ड और बुकिंग तथा अतिथि/आकस्मिक सदस्यता शुल्क रसीद दिखानी होगी।
6.	सदस्यों को स्टेडियम के स्वागत कक्ष पर रखे रजिस्टर में अपना नाम/विवरण भरने होंगे।
7.	रंगीन सोल के जूते पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
8.	स्टेडियम में शान्ति बनाए रखें।
9.	निजी कोचिंग की अनुमति नहीं है। ऐसी किसी भी प्रकार की अनधिकृत कोचिंग को व्यावसायिक गतिविधि माना जाएगा और सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी जिसमें सदस्यता को समाप्त भी किया जा सकता है। गैर-सदस्यों को अनधिकृत कोचिंग कराने के लिए परिसर से विवर्जित किया जा सकता है।
10.	परिसर के ड्यूटी कर्मचारी सुविधाओं का प्रयोग कर रहे खिलाड़ियों की आकस्मिक जाँच कर सकते हैं और चूककर्ता को दण्ड के तौर पर दुगुना बुकिंग शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा जाएगा।
11.	प्रबंधन, इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम में अथवा परिसर के अंदर हुए किसी निजी सामान को क्षति/चोरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
12.	स्टेडियम अथवा दर्शक गैलरी में ड्राइवर/नौकर का आना सख्त मना है।
13.	बिजली चली जाने अथवा प्रबंधन के नियंत्रण से बाहर के कारणों से या अन्य किसी स्थिति में भविष्य के खेल में समायोजन करके क्षतिपूर्ति की जाएगी।
14.	धूम्रपान/थूकना सख्त मना है।
15.	इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम में मोबाइल फोन का उपयोग पूर्णतः निषिद्ध है।
16.	कूड़ा फैलाने से बचने के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करें।
17.	इंडोर बैडमिंटन कोर्ट में मादक पेय/शराब, खाने, चाय/कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स आदि का सेवन पूर्णतः निषिद्ध है।
18.	आवश्यक बुकिंग शुल्क का भुगतान करके सदस्य खेल की तारीख से तीन दिन पहले और आकस्मिक सदस्य एक दिन पहले ही कोर्ट बुक कर सकते हैं।
19.	प्रबंधन के पास कोर्ट की बुकिंग का अधिकार है। बिना कोई कारण बताए बैडमिंटन खेलने के लिए इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम को बंद किया जा सकता है।
20.	खेल की अवधि: खेल की अवधि 40 मिनट अथवा एक गेम, जो भी पहले हो, वह होगी। 3 मिनट का समय वार्मिंग अप का होगा जो 40 मिनट की अवधि में शामिल होगा।
21.	स्पोर्ट्स गियर: खिलाड़ियों को अपना रैकेट और शटल कॉक स्वयं लानी होगी।
22.	वर्दी: शर्टस अथवा ट्रैक लोअर, टी शर्ट स्पोर्ट्स शूज सहित। रंगीन सोल वाले जूते पहनने की अनुमति नहीं है।
23.	समय:- ग्रीष्मकालीन समयावधि: (1 मार्च से 30 नवम्बर तक) : प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक शीतकालीन समयावधि (1 दिसम्बर से 28 फरवरी तक) : प्रातः 6.30 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक
24.	इंडोर बैटमिंटन कोर्ट में संगीत बजाने एवं नृत्य करने की अनुमति नहीं है।
25.	परिसर प्रबंधन की पूर्व अनुमति के बिना इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम के आस-पास पोस्टर/बैनर लगाने की अनुमति नहीं है।
26.	टूर्नामेंट के दौरान गलियारे में केवल 50 खिलाड़ियों के बैठने की अनुमति है।
27.	इंडोर बैटमिंटन स्टेडियम में उचित मर्यादा एवं अनुशासन बनाए रखें।
28.	इंडोर बैटमिंटन स्टेडियम में किसी भी ऑडियो-वीडियो सिस्टम का प्रयोग न किया जाए।
29.	फिक्स्चर/कमेंट्री की उद्घोषणा के उद्देश्य हेतु किसी माइक का प्रयोग न किया जाए।
30.	दर्शक केवल गलियारे में बैठेंगे। उन्हें बैडमिंटन क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।
31.	इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों को सुविधा बुक करने की अनुमति नहीं है। कॉंपरेट/फर्म अपने नाम पर सुविधा को बुक करें।

उपनियमों का सारांश

क्रं. सं.	खेल	समय	दिन	पोशाक	टिप्पणी
1.	टेनिस	क्ले कोर्ट शीतकालीन: प्रातः 6.30 से प्रातः 10.00 बजे तक दोपहर: 3.00 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक ग्रीष्मकालीन: प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक दोपहर: 4.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक सिंथेटिक कोर्ट शीतकालीन: प्रातः 6.30 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक दोपहर: 3.00 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक ग्रीष्मकालीन: प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक दोपहर: 4.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक	सोमवार को छोड़कर सभी कार्य दिवस	खेलते समय टी शर्ट, शॉर्ट्स (महिलाओं हेतु स्कर्ट/शॉर्ट्स और लेगिंग) और नॉन मार्किंग टेनिस के जूते पहने जाने चाहिए। ट्रैक सूट पहनने की अनुमति केवल सर्दियों में है।	क्ले कोर्ट हेतु कोई शुल्क नहीं है। सिंथेटिक कोर्ट हेतु निर्धारित शुल्क देना होगा।
2.	टेबल टेनिस	शीतकालीन: प्रातः 6.30 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक दोपहर: 3.00 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक ग्रीष्मकालीन: प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक दोपहर: 4.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक	सोमवार को छोड़कर सभी कार्य दिवस	शॉर्ट्स/ट्रैक लोअर। खेलते समय टी शर्ट और स्पोर्ट्स शूज पहनने की अनुमति है।	शांति बनाए रखें। खेल के उपरान्त लाइटों को बंद करें। दीवार के सहारे खड़े होने की अनुमति नहीं है।
3.	बैडमिंटन	शीतकालीन: प्रातः 6.30 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक दोपहर: 3.00 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक ग्रीष्मकालीन: प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक दोपहर: 4.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक	सोमवार को छोड़कर सभी कार्य दिवस	शॉर्ट्स/ट्रैक लोअर। खेलते समय टी शर्ट और स्पोर्ट्स शूज	सदस्यों हेतु कोर्ट सं.1 और 2, आश्रितों हेतु कोर्ट सं. 3 है।
4.	स्काश	शीतकालीन: प्रातः 6.30 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक	सोमवार को छोड़कर सभी कार्य दिवस	शॉर्ट्स, शर्ट/टी-शर्ट, नॉन मार्किंग	रंगीन सोल वाले जूते पहनने की अनुमति नहीं है।

		<p>तक दोपहर: 3.00 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक</p> <p>ग्रीष्मकालीन: प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक दोपहर: 4.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक</p>	कार्य दिवस	स्काश शूज (वार्म अप हेतु टैक सूट/केवल सर्दियों में)	
5.	ताइकांडो	<p>शीतकालीन: शाम 4.00 बजे से शाम 6.30 बजे तक ग्रीष्मकालीन: शाम 4.00 बजे से शाम 7.30 बजे तक</p>	मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार	निर्धारित यूनिफार्म	निर्धारित शुल्क। अपनी यूनिफार्म लेकर आए। प्रतिभागी आरंभ होने से 10 मिनट पहले रिपोर्ट करें।
6.	बास्केट बॉल	<p>शीतकालीन: प्रातः 6.30 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक दोपहर: 3.00 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक</p> <p>ग्रीष्मकालीन: प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक दोपहर: 4.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक</p>	सोमवार को छोड़कर सभी कार्य दिवस	शॉर्ट्स, शर्ट/टी-शर्ट और स्पोर्ट्स शूज (वार्म अप हेतु टैक सूट/केवल सर्दियों में)	आयोजित टीम प्ले शाम 6.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे (ग्रीष्मकालीन) शाम 5.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक (शीतकालीन)
7.	एरोबिक्स	<p>शीतकालीन: प्रातः 6.30 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक दोपहर: 3.00 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक</p> <p>ग्रीष्मकालीन: प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक दोपहर: 4.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक</p>	सोमवार को छोड़कर सभी कार्य दिवस	प्रशिक्षक द्वारा निर्धारित वस्त्र	निर्धारित शुल्क
8.	योग	<p>शीतकालीन: प्रातः 6.30 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक दोपहर: 3.00 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक</p> <p>ग्रीष्मकालीन: प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक दोपहर: 4.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक</p>	सोमवार को छोड़कर सभी कार्य दिवस	ढीले वस्त्र	निर्धारित शुल्क
9.	क्रिकेट ग्राउण्ड	<p>प्रातः 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक</p>	सोमवार को छोड़कर सभी कार्य दिवस	क्रिकेट पैट और टी- शर्ट	निर्धारित शुल्क के भुगतान पर।

10.	क्रिकेट प्रैक्टिस पिच नेट	शीतकालीन: प्रातः 6.30 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक दोपहर: 3.00 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक ग्रीष्मकालीन: प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक दोपहर: 4.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक	सोमवार को छोड़कर सभी कार्य दिवस	क्रिकेट पैंट और टी-शर्ट	हार्ड पिच सदस्यों हेतु आरक्षित है। टर्फ पिच निर्धारित शुल्क पर बुकिंग के लिए है।
11.	तैराकी	प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक शाम 3.00 बजे से रात 9.00 बजे तक	सोमवार को छोड़कर सभी कार्य दिवस	तैराकी पोशाक	निर्धारित शुल्क के भुगतान पर
12.	फिटनेस केन्द्र	शीतकालीन: प्रातः 6.30 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक दोपहर: 3.00 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक ग्रीष्मकालीन: प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक दोपहर: 4.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक	सोमवार को छोड़कर सभी कार्य दिवस	ट्रैक सूट/टाइट्स, शॉर्ट्स और टी-शर्ट	निर्धारित शुल्क के भुगतान पर
13.	स्केटिंग	शीतकालीन: प्रातः 6.30 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक दोपहर: 3.00 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक ग्रीष्मकालीन: प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक दोपहर: 4.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक	सोमवार को छोड़कर सभी कार्य दिवस	ट्रैक सूट, शॉर्ट्स और टी-शर्ट	निर्धारित शुल्क के भुगतान पर
14.	इनडोर बैडमिंटन स्टेडियम	शीतकालीन: प्रातः 6.30 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक दोपहर: 3.00 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक ग्रीष्मकालीन: प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक दोपहर: 4.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक	सोमवार को छोड़कर सभी कार्य दिवस	टी-शर्ट और नॉन मार्किंग शूज सहित शॉर्ट्स/ट्रैक लोअर	प्रबंधन हेतु कोर्ट सं. 1 आरक्षित है।

महत्वपूर्ण उपविधियों और खेल परिसरों में खेलों की सूची का सारांश

1.	अतिथियों एवं आकस्मिक सदस्यों हेतु निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान किया जाना है।
2.	सदस्यों को शालीनता बनायी रखनी चाहिए और पोशाक संबंधी विनियमों का पालन करना चाहिए।
3.	सदस्यों को प्रत्येक खेल सुविधा में रखे गये रजिस्टर में अपना नाम, सदस्यता संख्या एवं आने के समय की प्रविष्टि करनी होगी।
4.	कार्ड/अंशदान भुगतान की रसीद परिसर के कर्मचारियों के अनुरोध पर दिखाई जाए।
5.	खिलाड़ियों को अपना खेल का सामान, जैसे- रैकेट, बॉल, बैट, शटल-कॉक, आदि लाना चाहिए।
6.	समय में परिवर्तन किया जा सकता है। इस बारे में सूचना नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी और सदस्यों को एसएमएस/ई-मेल द्वारा सूचित किया जाएगा।
7.	कूड़ा-करकट कहीं न फैलाएँ। कूड़ेदान का प्रयोग करें।
8.	खेलने के स्थान पर शान्ति बनाए रखें।
9.	कोर्ट/खेलने के स्थान पर धूम्रपान और शराब/मादक पेय का सेवन करना सख्त मना है।
10.	सभी से अनुरोध है कि वे परिसर के कर्मचारियों के प्रति शालीन व्यवहार करें।
11.	प्रत्येक खेल सुविधा स्थल पर विस्तृत उप-विधियां उपलब्ध है।
12.	सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिसर की उप विधियों का पालन करें।
13.	रख रखाव/सफाई आदि के कारण प्रशासन को सुविधा बन्द रखने का अधिकार है। इस संबंध में सूचना नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी और सदस्यों को एस.एम.एस. /ई-मेल द्वारा सूचना दी जाएगी।
14.	शिकायत/सुझाव पुस्तिका स्वागत कक्ष पर उपलब्ध है।
15.	प्रबंधन बोर्ड के पास उपविधि में समय-समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने का अधिकार है।
16.	किसी भी सुविधा के लिए प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान परिसर के प्राधिकृत कर्मचारी को ही करना चाहिए और रसीद ले लेनी चाहिए। प्रशिक्षक प्रशिक्षण शुल्क प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत नहीं है। परिसर के कर्मचारियों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान करने की स्थिति में परिसर उत्तरदायी नहीं होगा।
17.	विद्युत आपूर्ति के फेल होने, खराब मौसम, बारिश अथवा प्रबंधन के नियंत्रण के बाहर किसी अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियों में भविष्य में खेल न पाने पर शुल्क वापिस दिया जाएगा अथवा समायोजित किया जाएगा।